झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
वाणिज्यिक अपील संख्या 17 / 2022

मेसर्स ऑरेंज बिजनेस सर्विसेज इंडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 601, 6वीं मंजिल, डीएलएफ साउथ कोर्ट मॉल, साकेत, नई दिल्ली- 110017, डाकघर और थाना - साकेत, जिला- नई दिल्ली और कॉर्पोरेट कार्यालय: 15वीं मंजिल, विश्वरूप आईटी पार्क, सेक्शन 30-ए, वाशी, नवी मुंबई, भारत- 400703, अपने अधिकृत प्रतिनिधि श्री प्रदीप कुमार पांडे, पुत्र चंद्र धारी पांडे, निवासी एम-13 के सामने, अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी, डाकघर और थाना - अरगोड़ा, जिला- रांची के माध्यम से प्रोग्राम मैनेजर के पद पर है।

.....वादी/अपीलकर्ता

बनाम

1. सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम), दरभंगा हाउस, रांची, डाकघर जी.डाकघर, थाना -कोतवाली, जिला-रांची, झारखंड - 834001
2. अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक (सीएमडी), सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, रांची, डाकघर जी.डाकघर, थाना -कोतवाली, जिला-रांची, झारखंड-834001
3. महाप्रबंधक (खरीद)/विभागाध्यक्ष, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, रांची डाकघर जी.डाकघर, थाना -कोतवाली, जिला-रांची, झारखंड – 834001

... प्रतिवादी/प्रतिवादी

कोरम: माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
माननीय श्रीमती. जस्टिस अनुभा रावत चौधरी

अपीलकर्ता के लिए : **श्री देवाशीष भारुका, अधिवक्ता**
: **श्री रवि भारूका, अधिवक्ता**
: **श्री नितिन कुमार पसारी, अधिवक्ता**
: **श्रीमती सीधी जालान, अधिवक्ता**

प्रतिवादियों के लिए : **श्री इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता**
: **श्री अंकित विशाल, अधिवक्ता**

निर्णय

सी.ए.वी. 05 सितंबर 2023 को उच्चारण **18 जनवरी 2024 को प्रति,**

अनुभा रावत चौधरी, जे.

यह वाणिज्यिक अपील, वाणिज्यिक वाद संख्या 331/2017 में रांची के वाणिज्यिक न्यायालय के विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 20.06.2022 के निर्णय के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके तहत अपीलकर्ता के 5,98,13,807/- रुपये के धन वाद को अपीलकर्ता के पक्ष में 1,44,18,600/- रुपये की सीमा तक आंशिक रूप से स्वीकार किया गया था और 4,53,95,207/- रुपये की सीमा तक आंशिक रूप से खारिज कर दिया गया था। इस प्रकार अपीलकर्ता ने 20.06.2022 के विवादित आदेश और निर्णय को केवल धन वाद की अस्वीकृति की सीमा तक चुनौती दी है, जहां तक यह 4,53,95,207/- रुपये के दावे से संबंधित है।

2. यह मामला प्रतिवादियों द्वारा अपीलकर्ता को (5) वर्ष की अवधि के लिए किराये के आधार पर आर आई एस सी / ई पी आई सी सर्वरों की आपूर्ति, स्थापना, चालू करने और रखरखाव के लिए एक टर्नकी परियोजना ('परियोजना') के लिए दिए गए अनुबंध से उत्पन्न हुआ है।

3. अपीलकर्ता के पक्ष में डिक्री की गई राशि का विवरण अपीलकर्ता द्वारा किए गए कार्य से संबंधित है और जुलाई 2015 से मई 2016 की अवधि के दौरान आपूर्ति आदेश के तहत की गई आपूर्तियों के लिए अपीलकर्ता द्वारा चालान पेश किए गए थे जिसमें एकमुश्त शुल्क (ओ टी सी), 11 महीने के लिए मासिक किराया शुल्क और सी सी एल (प्रतिवादियों) के पुराने कार्यालय से नए कार्यालय में वस्तुओं को स्थानांतरित करना शामिल था। मासिक किराया शुल्क 10,25,337.78 रुपये तय किया गया था और इसके दो घटक थे यानी उत्पाद लागत और सेवा लागत। शिकायत में उल्लिखित चार्ट और उसमें उल्लिखित राशि के लिए डिक्री को निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:-

क्र. सं.	विवरण/सेवाएँ	चालान संख्या और दिनांक	राशि (भारतीय रुपये में)
1.	एकमुश्त शुल्क (ओटीसी)	सीसीएल/डीसी/01 दिनांक 12 मई 2016	30,76,014.57
2.	जुलाई, 2015 से मई, 2016 तक 11 महीनों के लिए मासिक किराया	11 महीनों के लिए प्रासंगिक चालान अनुलग्नक के कोली में प्रदान किए गए हैं,	1,12,78,715.69
3.	सीसीएल कोलकाता बिक्री कार्यालय के पुराने कार्यालय से नए कार्यालय में वस्तुओं का स्थानांतरण।	एमयूएम/एसटी/1617/236 दिनांक 11-जुलाई 2016	63,868.70
बकाया राशि			1,44,18,600

4. प्रतिवादियों द्वारा 13.01.2017 को अनुबंध समाप्त कर दिया गया और प्रदर्शन बैंक गारंटी लागू की गई। अपीलकर्ता द्वारा आपूर्ति किए गए उपकरणों के नुकसान के कारण धन के दावे को अस्वीकार किए जाने से अपीलकर्ता व्यथित है, जिसका भुगतान मासिक किराये के शुल्क के एक घटक के माध्यम से अनुबंध अवधि में फैला हुआ था; जुलाई 2016 से जनवरी 2017 तक प्रदान की गई रखरखाव

सेवाओं के कारण नुकसान और प्रदर्शन बैंक गारंटी को लागू करके प्रतिवादियों द्वारा वसूल की गई राशि की वापसी का दावा किया, लेकिन बहस के दौरान दो महीने के लिए तैनात जनशक्ति को दिए गए पारिश्रमिक के बारे में दावा छोड़ दिया। शिकायत के पैराग्राफ 30 में उल्लिखित निम्नलिखित चार्ट विभिन्न शीर्षों और दावा की गई राशि देता है: -

क्रम संख्या	विवरण	राशि
1.	आपूर्ति किए गए उपकरणों के कारण हानि उनचास (49) किस्तों के बराबर	3,63,50,258
2.	तैनात जनशक्ति को दिए गए दो महीने के पारिश्रमिक के कारण हानि	5,70,265
3.	जुलाई 2016 से जनवरी 2017 तक प्रतिवादियों को प्रदान की गई रखरखाव सेवाओं के कारण हानि	19,95,928
4.	प्रतिवादियों द्वारा प्रदर्शन बैंक गारंटी के अवैधानिक नकदीकरण के कारण हुई हानि	64,78,756
कुल		4,53,95,207/-

5. वाद पत्र

5 (i) वाद पत्र के अनुसार, अपीलकर्ता ने प्रतिवादियों द्वारा जारी एक निविदा के तहत (5) वर्षों की अवधि के लिए किराये के आधार पर आर आईएससी/ई पीआईसी सर्वर के साथ-साथ संबद्ध सहायक उपकरण की आपूर्ति, स्थापना, कमीशन और रखरखाव के लिए एक टर्नकी परियोजना ('परियोजना') के लिए भाग लिया था। अपीलकर्ता एक सफल बोलीदाता होने के नाते, 6,23,03,148/- रुपये के अनुबंध मूल्य के लिए पांच साल की अवधि के लिए किराये के आधार पर सर्वर के साथ-साथ संबद्ध सहायक उपकरण की आपूर्ति, स्थापना, कमीशन और रखरखाव के लिए 28.03.2014 को आपूर्ति आदेश जारी किया गया था। भुगतान शर्तों के अनुसार, अपीलकर्ता दो मोर्चों पर किए गए काम के लिए भुगतान प्राप्त करने का हकदार था यानी "एकमुश्त शुल्क" (ओटीसी) और पांच साल की अवधि के लिए "मासिक किराया शुल्क" अपीलकर्ता को संपूर्ण परियोजना की स्थापना और कमीशनिंग के पंद्रह दिनों के भीतर अनुबंध मूल्य के दस प्रतिशत (10%) के बराबर "प्रदर्शन बैंक गारंटी" (पीबीजी) भी प्रस्तुत करना आवश्यक था।

5 (ii) वाद पत्र के पैराग्राफ 8 और 9 के अनुसार, अपीलकर्ता ने मूल्य विभाजन विवरण के संबंध में उक्त आपूर्ति आदेश में विभिन्न विसंगतियों और अस्पष्टता के कारण अपनी सशर्त स्वीकृति प्रस्तुत की थी और अपीलकर्ता ने आपूर्ति में संशोधन की मांग करते हुए प्रतिवादियों से संपर्क किया था। मूल्य विभाजन विवरण के संबंध में स्पष्टता प्राप्त करने और प्रदर्शन बैंक गारंटी जमा करने सहित अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए। मूल्य विभाजन और लागू कर दरों के संबंध में ऐसी अस्पष्टता के कारण, अपीलकर्ता आपूर्ति आदेश के तहत आवश्यक समय सीमा के भीतर प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं था क्योंकि लागू कर दरों सहित अनुबंध मूल्य निश्चित नहीं था। और प्रदर्शन

बैंक गारंटी अनुबंध मूल्य के 10% की राशि के बराबर जमा की जानी थी। मूल्य विभाजन विवरण के संबंध में अस्पष्टता के कारण, प्रतिवादियों द्वारा जारी किए गए प्रारंभिक आपूर्ति आदेश को आपूर्ति आदेश में दिनांक 23.04.2014 के प्रथम शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित किया गया था। आपूर्ति आदेश को दिनांक 20.03.2015 के द्वितीय शुद्धिपत्र द्वारा पुनः संशोधित किया गया था, जिसमें प्रारंभिक आपूर्ति आदेश के तहत दिए गए प्राप्तकर्ता विवरण को सीसीएल द्वारा संशोधित किया गया था।

5 (iii) इसके बाद, प्रतिवादियों की ओर से विभिन्न प्राप्तकर्ताओं के लिए सड़क परमिट जारी करने और अपीलकर्ता को 'फॉर्म सी' जारी करने के संबंध में स्पष्टता जारी करने में बहुत देरी हुई।

5 (iv) इस बीच, देरी के बावजूद अपीलकर्ता ने परियोजना का निष्पादन शुरू कर दिया और 20.05.2015 तक परियोजना के वितरण और साइटों पर परिवहन, स्थापना, एकीकरण और कमीशनिंग की प्रक्रिया को विधिवत पूरा कर लिया।

5 (v) इस समय तक भी लागू कर दरों के बारे में कोई स्पष्टता नहीं थी, और फॉर्म सी जारी करने की पुष्टि भी प्रतिवादियों द्वारा नहीं की गई थी। फॉर्म सी की अनुपस्थिति में, अपीलकर्ता प्रतिवादियों को चालान जारी करने/जारी करने और इसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए बिलिंग शुरू करने की स्थिति में नहीं था। अपीलकर्ता ने प्रतिवादियों को विभिन्न पत्र जारी किए, जिसमें उन्हें कर की पूरी दर की प्रयोज्यता के संबंध में स्पष्टीकरण या संशोधन जारी करने और/या वादी को चालान जारी करने की सुविधा के लिए फॉर्म सी जारी करने की पुष्टि करने के लिए कहा।

5 (vi) इन विभिन्न संचारों के बीच, प्रतिवादियों ने दिनांक 30.11.2015 को एक पत्र जारी किया कि परियोजना की सभी डिलीवरी, स्थापना और कमीशनिंग 20.05.2015 तक पूरी हो गई थी और स्वीकार किया कि अपीलकर्ता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए किराया 01.07.2015 से शुरू होना चाहिए। हालांकि, प्रतिवादियों द्वारा दिनांक 08.03.2016 को एक तीसरा शुद्धिपत्र जारी किया गया था जिसमें प्रतिवादियों द्वारा कर संरचना में परिवर्तन को प्राथमिकता दी गई थी जिसके परिणामस्वरूप परियोजना के अनुबंध मूल्य में संशोधन और वृद्धि हुई थी, और परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता आपूर्ति आदेश के अनुसार संशोधित अनुबंध मूल्य के 10% के बराबर दिनांक 22.04.2016 को प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में सक्षम था और अपीलकर्ता द्वारा प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के बाद ही प्रतिवादियों ने निविदा नोटिस की शर्तों के अनुसार बयाना राशि (ईएमडी) जारी की।

5 (vii) अपीलकर्ता ने प्रतिवादियों को वन टाइम चार्ज (ओ.टी.सी.) के रूप में 30.76,014.57 रुपये का चालान विधिवत प्रस्तुत किया, जो पहले से किए गए कार्य के लिए प्रतिफल का हिस्सा था और जुलाई 2015 से मई 2016 तक की अवधि के लिए 1,12,78,715.69 रुपये के किराये के लिए चालान भी जारी किए। अपीलकर्ता को विभिन्न आईटी उपकरण आइटम और स्थापित मशीनरी को स्थानांतरित/पुनर्स्थापित करने की भी आवश्यकता थी और इसके लिए 63,686.70 रुपये की राशि प्रभार्य थी, जिसके लिए एक और चालान जारी किया गया और परिणामस्वरूप, प्रतिवादियों पर अपीलकर्ता द्वारा जारी किए गए चालान के लिए शिकायत के अनुसार कुल बकाया राशि 1,44,18,600/- रुपये थी।

5 (viii) दिनांक 12.05.2016, 11.07.2016 को चालान जारी करने तथा जुलाई 2015 से मई 2016 तक 11 महीने का मासिक किराया और संतोषजनक प्रदर्शन के बावजूद,

प्रतिवादियों ने भुगतान जारी नहीं किया, जिसके कारण अपीलकर्ता को 16.09.2016 को सेवाएं निलंबित करने के लिए बाध्य होना पड़ा और जवाब में, प्रतिवादियों ने दिनांक 16.09.2016 और 17.09.2016 को ईमेल के माध्यम से अपीलकर्ता से सेवाओं को तुरंत बहाल करने का अनुरोध किया और अपीलकर्ता को आश्वासन दिया कि मामले को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए एक समिति गठित की गई है। अपीलकर्ता ने सद्भावना के साथ धन की व्यवस्था की और इस आशावादी दृष्टिकोण के साथ सेवाएं बहाल की कि प्रतिवादी लंबे समय से बकाया राशि का भुगतान करेंगे और प्रतिवादियों को दिनांक 21.10.2016 को पत्र के माध्यम से सूचित किया। हालांकि, दिनांक 01.11.2016 के पत्र के माध्यम से प्रतिवादियों ने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता ने आपूर्ति आदेश की शर्तों का उल्लंघन किया है और गैर-जिम्मेदाराना आचरण और अनुबंध के उल्लंघन के कारण भारी नुकसान हुआ है। प्रतिवादियों ने दिनांक 13.01.2017 के पत्र (जो अपीलकर्ता को 19.01.2017 को प्राप्त हुआ) के माध्यम से आपूर्ति आदेश को समाप्त करने वाला पत्र जारी किया। अपीलकर्ता का मामला यह था कि समाप्ति आदेश बिना कोई कारण या औचित्य बताए जारी किया गया था, समाप्ति आदेश जारी करने से पहले अपीलकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था और अपीलकर्ता ने अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया था।

5 (ix) अपीलकर्ता ने 23.01.2017 के पत्र के माध्यम से समाप्ति पत्र का जवाब दिया था कि अनुबंध के नियमों और शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था और परियोजना की डिलीवरी, स्थापना और कमीशनिंग अपीलकर्ता द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार संतोषजनक ढंग से की गई थी, लेकिन अपीलकर्ता को इसका कोई जवाब नहीं मिला। अंततः, अपीलकर्ता ने प्रतिवादियों द्वारा देय बकाया राशि की वसूली के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 80 के तहत दिनांक 10.02.2017 को एक कानूनी नोटिस जारी किया, लेकिन कानूनी नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला। शिकायत के पैराग्राफ संख्या 28 में अपीलकर्ता का मामला था कि प्रतिवादियों द्वारा आपूर्ति आदेश को गलत तरीके से समाप्त करने की मनमानी कार्रवाई के कारण, अपीलकर्ता बकाया राशि की वसूली का हकदार था और आपूर्ति आदेश के तहत अपने दायित्व को पूरा करने के दौरान उसे हुई अपूरणीय और अपूरणीय हानि और चोट के कारण मुआवजे/क्षतिपूर्ति का भी हकदार था। उनका मामला यह था कि अपीलकर्ता को आपूर्ति आदेश के सामान्य क्रम के दौरान स्वाभाविक रूप से हुई हानि/क्षति विभिन्न मदों के कारण 4,53,95,207/- रुपए की थी।

5 (x) अपीलकर्ता ने बकाया राशि 1,44,18,600/- की वसूली के लिए बकाया तिथि से लेकर भुगतान की तिथि तक 18% की दर से ब्याज सहित डिक्री की मांग की। अपीलकर्ता ने आपूर्ति आदेश की गलत समाप्ति के कारण हुए नुकसान और क्षति के रूप में 4,53,95,207/- की राशि के लिए भी डिक्री की मांग की, जो उपकरणों की शेष लागत, रखरखाव सेवाओं का प्रावधान, जनशक्ति लागत और प्रतिवादियों द्वारा प्रदर्शन बैंक गारंटी के अवैध नकदीकरण के कारण भुगतान की तिथि तक 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित हुई।

6. लिखित कथन

6 (ए) लिखित कथन के अनुसार, निविदा जारी करने और अपीलकर्ता को अनुबंध प्रदान करने के बारे में मूलभूत तथ्य विवाद में नहीं हैं। हालांकि, प्रतिवादियों ने कहा कि आपूर्ति आदेश के अनुच्छेद 12 के अनुसार, अपीलकर्ता को आपूर्ति आदेश की तारीख से 15 दिनों के भीतर दिए गए अनुबंध के 10%

मूल्य के लिए बैंक गारंटी के रूप में सुरक्षा जमा राशि जमा करनी थी, यानी 62,35,000 रुपये, लेकिन अपीलकर्ता ने निर्धारित समय के भीतर और उसके बाद भी सुरक्षा जमा नहीं की, और इस तरह अनुबंध का उल्लंघन किया जो किसी भी भुगतान के लिए उनके अधिकार के लिए एक बाधा थी। इस बात से इनकार किया गया कि अपीलकर्ता दो मोर्चों पर भुगतान प्राप्त करने का हकदार था। यानी एकमुश्त शुल्क (ओटीसी) और मासिक किराया शुल्क। प्रतिवादियों ने दावा किया कि अपीलकर्ता ने 17.04.2014 के पत्र के माध्यम से आपूर्ति आदेश की सशर्त स्वीकृति केवल लागू करों पर कुछ गणना संबंधी गलती के कारण प्रस्तुत की थी और इसे 23.04.2014 के शुद्धिपत्र द्वारा सुधारा गया था और कुछ गणना संबंधी गलतियों को विसंगतियां और अस्पष्टता नहीं कहा जा सकता है और इस संबंध में अपीलकर्ता के तर्क को अस्वीकार कर दिया गया। मूल्य विभाजन में त्रुटि के बारे में अपीलकर्ता के तर्क को भी अस्वीकार कर दिया गया, हालांकि इसे 23.04.2014 के शुद्धिपत्र द्वारा स्पष्ट किया गया था, लेकिन अपीलकर्ता ने सुरक्षा जमा नहीं दी। मूल्य विभाजन के संबंध में अस्पष्टता और फॉर्म सी आदि के बारे में स्पष्टता के संबंध में अन्य बयानों को भी प्रतिवादियों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। शिकायत के पैराग्राफ 12 को अस्वीकार करते हुए, लिखित बयान के पैराग्राफ 14 में कहा गया कि संशोधन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि अपीलकर्ता ने सड़क परमिट मांगा था जो इसलिए पड़ा क्योंकि अपीलकर्ता ने अपने प्रस्ताव में रियायती बिक्री कर को गलत तरीके से उद्धृत किया था और यह भी कहा गया कि अपीलकर्ता की ओर से गलती के कारण आपूर्ति आदेश को 20.03.2015 के शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित किया गया था। पैराग्राफ संख्या 15 में कहा गया कि अपीलकर्ता ने एक पत्र जारी किया था जिसमें कहा गया था कि सीसीएल सर्वर परियोजना की डिलीवरी, स्थापना और कमीशनिंग आपूर्ति आदेश के सभी स्थानों पर 28.05.2015 को पूरी हो गई थी और यह पारस्परिक रूप से सहमत था कि 01.07.2015 से अपीलकर्ता आपूर्ति आदेश के अनुसार मासिक किराये और एकमुश्त शुल्क (ओटीसी), यदि कोई हो, के लिए बिलिंग के लिए अधिकृत था।

6 (बी) पैराग्राफ संख्या 18 में कहा गया है कि अपीलकर्ता यह दावा नहीं कर सकता कि परियोजना की कमीशनिंग 20.05.2015 को पूरी हो गई थी क्योंकि अपीलकर्ता ने यह भी कहा है कि किराये का भुगतान 01.07.2015 से शुरू होना था। लिखित बयान के पैराग्राफ संख्या 20 में कहा गया है कि जुलाई 2015 से मई 2016 तक 11 महीनों के लिए वन टाइम चार्ज (ओटीसी) और मासिक किराये के शुल्क और पुराने से नए कार्यालय में सामान स्थानांतरित करने के लिए एक बिल प्रतिवादियों के वित्त विभाग को क्रमशः 01.09.2016, 08.08.2016 और 30.08.2016 को प्राप्त हुआ था। लिखित बयान में कहा गया है कि अपीलकर्ता ने 16.09.2016 से सर्वर को एकतरफा बंद करके शरारत की है। प्रतिवादियों ने 16.09.2016 को तत्काल सेवाएं बहाल करने के लिए ई-मेल भेजा, जिस पर अपीलकर्ता ने 16.09.2016 से ही विभिन्न स्थानों पर सर्वर बंद करना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप सीसीएल में लागू कोल(नेट) सहित सभी आईटी-संबंधी गतिविधियां ठप हो गईं। पुनः 24.09.2016 को ई-मेल के माध्यम से अपीलकर्ता को 24 घंटे के भीतर सेवाएं बहाल करने का अनुरोध किया गया, ऐसा न करने पर प्रतिवादियों का प्रबंधन अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई करेगा। बताया गया है कि 16.09.2016 को गठित समिति ने 20.09.2016 को निम्नलिखित अनुशंसा की:-

> (i) चूंकि मेसर्स ऑरेंज द्वारा कानूनी मुद्दे उठाए गए हैं, इसलिए इन मुद्दों और संशोधनों का मामला कानूनी विभाग को भेजा जा सकता है;
>
> (ii) अनुबंध/सामान्य नियम एवं शर्तों (खण्ड संख्या 20) के प्रावधान के अनुसार सुरक्षा जमा (एसडी) जमा न करने के लिए वादी के विरुद्ध उचित समझी जाने वाली कार्रवाई की जा सकती है।

(iii) यदि कोई विकल्प नहीं बचा है तो अनुबंध के सुरक्षा जमा खंड को माफ करने के लिए कार्रवाई की जाएगी;

(iv) अनुबंध के प्रावधान के अनुसार एलडी (परिसमापन क्षति) लगाया जाएगा;

6 (सी) यह दावा किया गया कि प्रतिवादी अनुबंध के अनुसार सभी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र थे, जो इस प्रकार हैं: -

(i) एनआईटी के सामान्य नियमों और शर्तों के खंड 20 (ई) और एनआईटी के महत्वपूर्ण वाणिज्यिक नियमों और शर्तों के खंड 3 के तहत प्रदर्शन गारंटी को पूरी तरह से जब्त करना।

(ii) एनआईटी के सामान्य नियमों और शर्तों के खंड 20 (बी) और (सी) के तहत सर्वर परियोजना को फिर से शुरू करने के लिए तीसरे पक्ष को नियुक्त करना;

(iii) खंड 20 (ए) और 20 (एफ) के तहत काम पूरा होने में देरी और सर्वर के रुकने के कारण हुए नुकसान की भरपाई करना;

6 (डी) लिखित बयान के पैराग्राफ संख्या 25 में यह दावा किया गया है कि अपीलकर्ता का उक्त सर्वर और संबंधित आवश्यक सहायक उपकरण सभी परियोजनाओं की जीवन रेखा थे और अपीलकर्ता द्वारा रोक दिए जाने के कारण उत्पन्न संकट को देखते हुए प्रतिवादियों के सर्वर पर तैनात सभी व्यावसायिक कार्यात्मकताओं और आईटी पहलों को बहाल करने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता थी। सेवाओं को बहाल करने के सभी प्रयासों में विफल होने के बाद, सीसीएल प्रबंधन ने सीसीएल में स्थापित आईटी सेवाओं को शुरू करने के लिए अन्य विकल्पों की खोज शुरू कर दी। यह दावा किया गया कि अपीलकर्ता द्वारा आपूर्ति किए गए एचपी ईपीआईसी सर्वर और इसके आवश्यक संबद्ध सहायक उपकरण जिन पर कोल-नेट सॉफ्टवेयर और अन्य आईटी पहल सॉफ्टवेयर पोस्ट किए गए थे, उन्हें रोक दिया गया, जिससे सीसीएल में किए गए आईटी पहलों और संचालन का काम बुरी तरह प्रभावित हुआ। प्रतिवादियों ने अपीलकर्ता के सभी दावों से इनकार किया।

6 (ई) यह दावा किया गया है कि भुगतान जारी करने के लिए अपीलकर्ता के बिलों को संसाधित नहीं किया जा सका क्योंकि पूरी परियोजना लागत का 10% के बराबर परिसमाप्त हर्जाना एकमुश्त प्रभार (ओटीसी) बिल राशि से अधिक था। यह कहा गया कि अपीलकर्ता ने 30.06.2015 से 20.09.2020 तक पांच वर्ष तीन महीने की वैधता अवधि के साथ 19.04.2016 को 64,78,756/- रुपये के लिए अनुबंध राशि के 10% के रूप में प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) प्रस्तुत की और इसे सुरक्षा जमा सह प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) के रूप में विचार करने का अनुरोध किया।

6 (एफ) पैराग्राफ संख्या 31 में कहा गया है कि अपीलकर्ता ने 24.05.2016 को 30,76,014.16 रुपये का एकमुश्त प्रभार बिल बनाया, जिसमें गलतियों के कारण कई बार सुधार करने की आवश्यकता थी। अपीलकर्ता ने अंततः 16.07.2016 को सही बिल प्रस्तुत किया। हालांकि, भुगतान रिलीज के लिए बिल की प्रक्रिया में देरी हुई क्योंकि परिसमाप्त क्षति राशि, जो पूरे परियोजना लागत का 10% है, एकमुश्त शुल्क बिल राशि से अधिक थी। अपीलकर्ता ने 11 महीने के लिए मासिक किराये के बिल प्रस्तुत किए थे, कुल 1.015 करोड़ रुपये, जो शुरू में 01.07.2015 से 30.05.2016 की अवधि के लिए 23.07.2016 को उठाए गए थे। जांच के बाद, इन बिलों को 08.08.2016 को लेखा परीक्षा और भुगतान के लिए वित्त विभाग को भेज दिया गया था। हालांकि, सीसीएल मुख्यालय में वित्त विभाग, खंड संख्या 12 में निर्दिष्ट सुरक्षा जमा राशि जमा न करने के कारण भुगतान रिलीज के लिए बिल को संसाधित करने में असमर्थ था। दिनांक 20.03.2015 के संशोधन आदेश के संबंध में परिसमाप्त क्षति की वसूली के संबंध में 30.09.2016 को स्पष्टीकरण मांगा गया था। इस बीच, अपीलकर्ता ने 29.08.2016 से नोटिस देना शुरू

कर दिया, जिसमें सीसीएल द्वारा उल्लिखित दावे का भुगतान न करने के कारण समर्थन वापस लेने और सर्वर बदलने का इरादा दर्शाया गया। यह कहा गया कि चूंकि अपीलकर्ता ने सुरक्षा राशि जमा नहीं करके अनुबंध का उल्लंघन किया है, इसलिए वित्त विभाग भुगतान जारी नहीं कर सकता। प्रतिवादियों के जीएम (सिस्टम) ने 07.09.2016 को एक ईमेल के माध्यम से नोटिस की समीक्षा करने का अनुरोध किया, क्योंकि मामला संबंधित विभागों द्वारा संसाधित किया जा रहा था। मामले की जांच करने और वैध सिफारिशें प्रदान करने के लिए 16.09.2016 को एक समिति बनाई गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से, अपीलकर्ता ने जानबूझकर सर्वर को बंद कर दिया। संतोषजनक प्रदर्शन प्रमाणपत्र कार्य आदेश/एनआईटी दस्तावेज़ में निर्धारित किसी भी व्यावसायिक नियम और शर्तों की पूर्ति का संकेत नहीं देता है। सेवाओं को 16.09.2016 की शाम तक बढ़ा दिया गया था। हालांकि, उस तारीख से, अपीलकर्ता ने सर्वर से संबंधित सभी सेवाओं को बंद कर दिया, जिससे सर्वर पर स्थापित महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्यात्मकताएं बाधित हुईं। इन व्यवधानों से और अधिक अराजकता फैलती है। पैराग्राफ संख्या I, II, III, IV और विभिन्न आधारों पर वादी द्वारा उठाए गए दावों के संबंध में, प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि वे झूठे और मनगढ़ंत थे। प्रतिवादियों ने दावा किया कि वादी किसी भी कथित नुकसान का हकदार नहीं है और सुझाव दिया कि ये दावे अपीलकर्ता के कुकर्मों को छिपाने के लिए किए गए हैं, जिससे प्रतिवादियों को काफी नुकसान हुआ है।

7. विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा तैयार किए गए मुद्दे

(I) "क्या यह वाद अपने वर्तमान स्वरूप में स्वीकार्य है?

(II) क्या वादी के पास वर्तमान वाद के लिए वैध कारण है?

(III) क्या वादी 5,98,13,807/- रुपए की डिक्री का हकदार है?

(IV) क्या वादी वाद में मांगी गई राहत या राहतों का हकदार है?"

8. अपीलकर्ता की ओर से दो गवाहों की जांच की गई:-

पी.डब्लू. सं.	नाम	टिप्पणी
पी.डब्लू. 1	आफताब आलम	अपीलकर्ता के ग्राहक संबंध निदेशक-सार्वजनिक क्षेत्र की बिक्री
पी.डब्लू. 2	विक्रम कपूर	अपीलकर्ता के ग्राहक संबंध निदेशक-सार्वजनिक क्षेत्र की बिक्री

9. अपीलकर्ता की ओर से निम्नलिखित दस्तावेज प्रमाणित किए गए तथा उन्हें प्रदर्श (इसके बाद एक्सटेंशन) अंकित किया गया। वे हैं:-

एक्सटेंशन सं.	दस्तावेजों/सामग्री का विवरण	प्रवेश की तिथि	आपत्ति के बाद या बिना आपत्ति के स्वीकार किया गया
एक्सटेंशन 1	बोर्ड संकल्प दिनांक 31.01.2017 प्राधिकरण पत्र (1 पृष्ठ)	21.06.2019	आपत्ति सहित
एक्सटेंशन 2	निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)	21.06.2019	आपत्ति सहित

	(घरेलू) विज्ञापन सं. 06/2013-14 (59 पृष्ठ)		
एक्सटेंशन 3	आपूर्ति आदेश दिनांक 28.03.2014 (03 पृष्ठ)	21.06.2019	आपत्ति सहित
एक्सटेंशन 4	मूल शुद्धिपत्र दिनांक 23.04.2014 (03 पृष्ठ)	21.06.2019	आपत्ति सहित
एक्सटेंशन 5	मूल पत्र दिनांक 20.03.2015 (1 पृष्ठ)	21.06.2019	आपत्ति सहित
एक्सटेंशन 6, 6/1 से 6/6	प्रतिवादी को जारी दिनांक 11.05.2015, 27.05.2015, 17.06.2015, 14.10.2015, 16.11.2015, 31.12.2015 और 05.02.2016 के पत्र। (14 पृष्ठ)	21.06.2019	आपत्ति सहित
एक्सटेंशन 7	सीसीएल सर्वर परियोजना की डिलीवरी, स्थापना और कमीशनिंग की स्वीकृति के लिए सीसीएल प्रतिवादी द्वारा जारी दिनांक 30.11.2015 का पत्र संख्या सीसीएल/जीएम/एसवाईएस/15-16/765डी। (1 पृष्ठ)	21.06.2019	आपत्ति सहित
एक्सटेंशन 8	प्रतिवादी सीसीएल द्वारा जारी दिनांक 08.03.2016 का चौथा शुद्धिपत्र	21.06.2019	आपत्ति सहित
एक्सटेंशन 9	वादी द्वारा दिनांक 12.05.2016 और 24.05.2016 के पत्रों के माध्यम से जारी ओटीसी चालान (5 पृष्ठ)	21.06.2019	आपत्ति सहित
एक्सटेंशन 9/1	वादी द्वारा जारी दिनांक 24.05.2016 के पत्र की फोटोकॉपी जो प्रतिवादियों को प्राप्त हुई	21.06.2019	आपत्ति सहित
एक्सटेंशन 10	वादी द्वारा जारी दिनांक 22.07.2016 का पत्र जो प्रतिवादी को दिनांक 23.07.2016 को वादी के चालान (47 पृष्ठ) सहित प्राप्त हुआ	21.06.2019	आपत्ति सहित
एक्सटेंशन 10/1	वादी द्वारा जारी दिनांक 09.09.2016 का पत्र	21.06.2019	आपत्ति सहित
मार्क-X/1	पीडब्लू 1 के बयान के पैरा 24 में उल्लिखित कार्य आदेश की फोटोकॉपी	21.06.2019	आपत्ति सहित
एक्सटेंशन 11	पीडब्लू 1 के जमा किए गए पैरा-24 में उल्लिखित स्थापना और कमीशनिंग रिपोर्ट	21.06.2019	आपत्ति सहित

एक्सटेंशन 12 और 12/1	पीडब्लू 1 के जमा किए गए पैरा-256 में उल्लिखित 11.07.2016 को जारी वाणिज्यिक चालान और कर चालान	21.06.2019	आपत्ति सहित
एक्सटेंशन 13	पीडब्लू 1 के जमा किए गए पैरा 28 में उल्लिखित प्रतिवादी द्वारा जारी संतोषजनक निष्पादन रिपोर्ट	21.06.2019	आपत्ति सहित
एक्सटेंशन 14 और 14/1	पीडब्लू 1 के जमा किए गए पैरा 29 में उल्लिखित वादी का दिनांक 29.08.2016 और 14.09.2016 का पत्र		
एक्सटेंशन 15 और 15/1	पीडब्लू 1 के बयान के पैरा-30 में उल्लिखित ई-मेल के माध्यम से प्रतिवादी द्वारा जारी दिनांक 16.09.2016 और 17.09.2016 का पत्र	21.06.2019	आपत्ति सहित
एक्सटेंशन 16 और 16/1	पीडब्लू-1 के बयान के पैरा-30 में उल्लिखित वादी द्वारा जारी दिनांक 21.10.2016 और 01.11.2016 का पत्र	21.06.2019	आपत्ति सहित
एक्सटेंशन 17	पी.डब्लू. 1 के बयान के पैरा-31 में उल्लिखित प्रतिवादी का दिनांक 13.01.2017 का पत्र	21.06.2019	आपत्ति सहित
मार्क-x /2	सी.सी.एल. द्वारा जारी दिनांक 13.01.2017 के समाप्ति पत्र का उत्तर	21.06.2019	आपत्ति सहित
एक्सटेंशन 18	पी.डब्लू. 1 के बयान के पैरा-34 में उल्लिखित वादी द्वारा भेजी गई डाक रसीद के साथ जारी वकालत नोटिस की फोटोकॉपी	21.06.2019	आपत्ति सहित

10. प्रतिवादियों की ओर से केवल एक गवाह की जांच की गई- (इसके बाद डीडब्ल्यू):-

डीडब्ल्यू सं.	नाम	टिप्पणी
डीडब्ल्यू 1	राजेश कुमार पांडे	सामग्री प्रबंधन विभाग में वरिष्ठ प्रबंधक

11. प्रतिवादियों की ओर से, कुछ दस्तावेजों को साबित किया गया और प्रदर्श (इसके बाद एक्सट.) चिह्नित किया गया।

एक्सटेंशन नं.	दस्तावेजों/सामग्री का विवरण	प्रवेश की तिथि	क्या प्रवेश दिया गया
एक्सटेंशन एक्स और एक्स/ए	पत्र दिनांक 17.04.2014, संदर्भ संख्या ऑरेंज	27.09.2019	आपत्ति सहित

	सीसीएल/डीसी/2013-14/32 (पत्र दिनांक 23.04.2014 की फोटोकॉपी संख्या 155.01/01/14-371ए		
एक्सटेंशन ए	ई-मेल दिनांक 17/09/16	27.09.2019	आपत्ति सहित
एक्सटेंशन एक्स/बी	समिति की अनुशंसा दिनांक 20/09/16 की फोटोकॉपी	27.09.2019	आपत्ति सहित
एक्सटेंशन एक्स/सी	कानूनी राय की फोटोकॉपी	27.09.2019	आपत्ति सहित

12. पक्षों के गवाहों ने अपने-अपने मामलों का समर्थन किया है और उनसे विस्तृत जिरह की गई है, जिसका विवरण विवादित निर्णय और आदेश के पैराग्राफ संख्या 16 से 18 में दिया गया है। विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों की जांच की और निष्कर्ष दर्ज किए तथा अपीलकर्ता के पक्ष में आंशिक रूप से मुकदमा चलाने का आदेश दिया। विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय के निष्कर्ष निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत हैं: -

मुद्दे संख्या I और II के संबंध में

ए. यह स्पष्ट था कि अपीलकर्ता ने जुलाई 2015 से मई 2016 तक 1.35 करोड़ रुपये की राशि का एकमुश्त चार्ज बिल और मासिक किराया प्रस्तुत किया था। बिल को अग्रेषित कर दिया गया। प्रतिवादी ने परियोजना के पूरा होने में देरी के लिए सुरक्षा जमा और निश्चित नुकसान के मुआवजे को समय पर जमा करने के लिए स्पष्टीकरण मांगा।

बी. अपीलकर्ता ने विवादों के समाधान की प्रतीक्षा किए बिना 16.09.2016 को सर्वर बंद कर दिया। स्वीकारोक्ति के अनुसार पत्र दिनांक 24.09.2016 के माध्यम से, प्रतिवादियों ने अपीलकर्ता से सर्वर के कामकाज को बहाल करने का अनुरोध किया और यह कहा गया कि प्रतिवादियों को सर्वर से संबंधित सेवाओं की वापसी के कारण हुए नुकसान के लिए हर्जाना वसूलने का अधिकार है। आगे यह स्वीकार किया गया है कि अपीलकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 25.09.2016 के माध्यम से कहा कि सेवाओं की वापसी वर्ष के लिए किसी भी भुगतान की अनुपस्थिति के कारण कंपनी द्वारा सामना की गई वित्तीय कठिनाई के कारण थी। यह अपीलकर्ता द्वारा अनुबंध के उल्लंघन का दावा था।

सी. अपीलकर्ता और प्रतिवादियों के बीच हुए संवाद से यह स्पष्ट है कि दोनों पक्ष इस तथ्य से अवगत थे कि एकमुश्त चार्ज बिल का भुगतान न करना सुरक्षा जमा राशि जमा न करने तथा सुरक्षा जमा राशि और प्रदर्शन बैंक गारंटी राशि के संबंध में आपूर्ति आदेश के खंड 7.4, 7.7, 7.8 और 7.9 में दिए गए अनुबंध कार्य को देरी से पूरा करने के लिए अपीलकर्ता द्वारा निर्धारित हर्जाना लगाने से इनकार करने के कारण है।

डी. सर्वर के बंद होने से प्रतिवादियों के कामकाज पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और विभिन्न थर्मल पावर विंग और स्टील प्लांट और उद्योगों आदि को कोयले की बुकिंग और आपूर्ति से संबंधित उनके अधिकांश संचालन पूरी तरह से सर्वर के माध्यम से बंधे हुए थे। कर्मचारियों, वेतन आदि से संबंधित प्रतिवादियों का प्रशासनिक कामकाज भी सर्वर के माध्यम से किया जाता था। प्रतिवादियों ने तर्क दिया है कि सर्वर बंद होने के कारण उन्हें भारी नुकसान हुआ है। दस्तावेज और मौखिक साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने अपने द्वारा उठाए गए विवादों/मुद्दों के समाधान की प्रतीक्षा किए बिना सर्वर को बंद कर दिया है जो विश्वास का

उल्लंघन है। अपीलकर्ता प्रक्रिया में देरी कर रहा है और लगभग हर जगह अपीलकर्ता अपने दृष्टिकोण में कमी पाया गया।

ई. बेशक, प्रतिवादियों ने अपीलकर्ता के अनुरोध पर संशोधनों पर सहमति व्यक्त की है, लेकिन अगर बारीकी से देखा जाए, तो यह स्पष्ट है कि सभी विस्तार आवश्यक समय बीत जाने के काफी बाद मांगे गए थे। तब भी प्रतिवादी अनुबंध के साथ चल रहे थे। अंतिम कील तभी लगी जब अपीलकर्ता ने सर्वर बंद कर दिया जिससे प्रतिवादियों को नुकसान हुआ, जैसा कि दावा किया गया था। यह स्पष्ट है कि प्रतिवादियों ने आश्वासन दिया था कि वे अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत बिल पर विचार कर रहे थे।

एफ. प्रतिवादियों ने अनुबंध के विलंबित पूरा होने के लिए निश्चित नुकसान का दावा किया और यह एनआईटी की धाराओं के अनुसरण में था। प्रतिवादियों की निश्चित नुकसान की मांग अनुचित और अन्यायपूर्ण नहीं थी और तब भी जब अपीलकर्ता ने बंद कर दिया था जिससे प्रतिवादियों को भारी नुकसान हुआ था। प्रतिवादियों के पास अनुबंध को समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

जी. जब अपीलकर्ता ने समझौता किया था, तो आपूर्ति आदेश की शर्तों के अनुसार परियोजना के विलंबित समापन के लिए परिसमाप्त क्षतिपूर्ति के भुगतान सहित अनुबंध की शर्तों का पालन करना उसका बाध्यकारी कर्तव्य था। अपीलकर्ता की ओर से 16.09.2016 और 17.09.2016 को सर्वर बंद करना अन्यायपूर्ण था, जब प्रतिवादियों ने आश्वासन दिया था कि वे विवादों के समाधान की तलाश कर रहे हैं और बिलों पर विचार कर रहे हैं।

एच. अपीलकर्ता ने लगभग एक वर्ष की देरी के बाद काम पूरा किया था और सुरक्षा जमा न करके अपने लाभ के लिए लागत में कटौती के उपाय अपनाए थे।

आई. अनुबंध के अनुसार, प्रतिवादी कंपनी के आपूर्ति आदेश में सुरक्षा जमा और प्रदर्शन बैंक गारंटी अलग-अलग निर्धारित की गई थी और अपीलकर्ता को अनुबंध के तहत दोनों देना आवश्यक था। प्रतिवादियों द्वारा एकमुश्त चार्ज बिल और मासिक किराये के भुगतान में देरी और कठिनाइयों का सामना करना अपीलकर्ता की कार्रवाई का परिणाम था; प्रतिवादियों ने अपीलकर्ता को सड़क परमिट आदि में भी मदद की, जो अनुबंध के तहत उनके लिए आवश्यक नहीं था और आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग और सर्वर के एकीकरण के लिए आवश्यक समय भी बढ़ा दिया।

जे. सामान्य नियम व शर्तों के एनआईटी (प्रदर्श 2) खंड 5-III (एनआईटी के पेज 37) के अवलोकन से यह स्पष्ट था कि एनआईटी के खंड के किसी भी हिस्से को फिर से लिखने की अनुमति नहीं दी जानी थी। यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि इसे उसी रूप में स्वीकार किया जाएगा। सामान्य नियम व शर्तों के 5.4 में, यह उल्लेख किया गया था कि सीसीएल में संबद्ध सामानों के साथ आरआईएससी/ईपीआईसी सर्वर की आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग और रखरखाव के लिए टर्नकी प्रोजेक्ट का सार समय पर उक्त परियोजना का सफल कार्यान्वयन है और परियोजना कार्यान्वयनकर्ता को परियोजना के पूरे लाइव चक्र में इस पहलू को अत्यधिक महत्व देना चाहिए। एनआईटी के खंड 7 में वितरित स्थापना, कमीशनिंग और एकीकरण के बारे में उल्लेख किया गया है। एनआईटी के सामान्य नियम व शर्तों के खंड 8 में पूरा होने में देरी के लिए निश्चित हर्जाना (एलडी) की परिकल्पना की गई है। यह परिकल्पना की गई है कि डिलीवरी, स्थापना, कमीशनिंग और एकीकरण के खंड 1 में बताए अनुसार प्रति सप्ताह या उसके हिस्से के लिए पूरी परियोजना लागत का

0.5% की दर से पूरी परियोजना लागत का 10% की अधिकतम सीमा के अधीन था। खंड - 9 विस्तार से प्रदर्शन सुरक्षा से संबंधित है। यह परिकल्पना की गई है कि अनुबंध राशि का 10% सफल बोलीदाता द्वारा पूरे प्रोजेक्ट की स्थापना और कमीशनिंग के 15 दिनों के भीतर उस खंड में उल्लिखित किसी भी फॉर्म में जमा किया जाना चाहिए जिसमें अन्य के अलावा बैंक गारंटी, डिमांड ड्राफ्ट आदि शामिल हैं। खंड 10 अप्रत्याशित घटना से संबंधित है। सामान्य नियम और शर्तों का खंड 11 भुगतान शर्तों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि आर आईएससी/ईपीआईसी सर्वर की आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग और रखरखाव के लिए टर्नकी परियोजना के प्रत्येक समूह की सभी वस्तुओं की डिलीवरी के बाद स्पष्ट और स्वीकार्य बिल/चालान जमा करने की तारीख से 21 दिनों के भीतर एकमुश्त शुल्क का 80% भुगतान किया जाएगा। खंड 11 (सी) में यह परिकल्पना की गई है कि एक बार के शुल्क के लिए शेष 20% भुगतान परियोजना के सफल कमीशनिंग के बाद स्पष्ट और स्वीकार्य बिल/चालान (तीन प्रतियों में) जमा करने की तारीख से 21 दिनों के भीतर किया जाएगा, जैसा कि डिलीवरी, स्थापना कमीशनिंग और एकीकरण के खंड-1 में कहा गया है। भुगतान अनुसूची मासिक किराये के बारे में भी बताती है एनआईटी का खंड-12 तकनीकी शर्तों से संबंधित है।

के. आपूर्ति आदेश (दिनांक 28.01.2014) (प्रदर्श 3) के खंड 10 में प्रदर्शन बैंक गारंटी की बात कही गई है। इसमें उल्लेख किया गया है कि अनुबंध राशि का 10% यानी 62,35,000/- रुपये बैंक गारंटी आदि के किसी भी रूप में सफल बोलीदाता द्वारा पूरे प्रोजेक्ट की स्थापना, कमीशनिंग के 15 दिनों के भीतर जमा किया जाना चाहिए। आपूर्ति आदेश के खंड 12 में सुरक्षा जमा के बारे में बताया गया है। यह परिकल्पना की गई है कि अपीलकर्ता को आपूर्ति आदेश की तारीख से 15 दिनों के भीतर किसी भी अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट या बैंक गारंटी के रूप में सुरक्षा जमा राशि जमा करनी होगी, जो कि दिए गए अनुबंध के मूल्य का 10% यानी 62,35,000/- रुपये है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इस प्रकार, एनआईटी (प्रदर्श.2) और आपूर्ति आदेश (प्रदर्श.3) से यह स्पष्ट है कि दोनों दस्तावेजों में विशेष रूप से 28.03.2014 के आपूर्ति आदेश में राशि स्पष्ट और सुनिश्चित थी। इसलिए अपीलकर्ता का यह तर्क कि आपूर्ति आदेश निश्चित नहीं था, किसी भी योग्यता से रहित माना गया। यह हो सकता है कि कर ढांचे में बदलाव के साथ, संशोधित अनुबंध राशि के साथ यह बढ़ सकता था या घट सकता था लेकिन उस समय अपीलकर्ता प्रतिवादियों के दस्तावेज के अनुसार काम कर सकता था। इन बिंदुओं पर अपीलकर्ता का तर्क व्यापक और अस्वीकार्य माना गया।

एल. इसके अलावा पत्राचार से पता चलता है कि आपूर्ति आदेश के लिए शुद्धिपत्र 23.04.2014 (प्रदर्श.4) को किया गया था और शुद्धिपत्र के लिए पत्र अपीलकर्ता द्वारा 17.04.2014 को भेजा गया था। इस प्रकार, यह मानते हुए कि आपूर्ति आदेश (प्रदर्श.2) यहां तक कि आपूर्ति आदेश में शुद्धिपत्र लागू करने के लिए पत्र भी 20 दिन से अधिक समय से लंबित था।

एम. अपीलकर्ता ने 23.05.2014 को अपने पत्र में रोड परमिट और फॉर्म-सी जारी करने के बारे में बताया है, जिस पर प्रदर्श एक्स अंकित है। यह ध्यान देने योग्य है कि पूरे एनआईटी और आपूर्ति आदेश में प्रतिवादियों की ओर से कोई प्रतिबद्धता नहीं है कि वे रोड परमिट और फॉर्म-सी भी प्रदान करेंगे। बेशक अपीलकर्ता ने 11.05.2015 से 05.02.2016 तक

लगभग 7 पत्र लिखे थे, जिनमें कर मुद्दों और पिछले पत्रों द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों को शीघ्रता से निपटाने का अनुरोध किया गया था।

एन. सीसीएल की ओर से अपीलकर्ता को दिनांक 30.11.2015 को भेजा गया पत्र सीसीएल सर्वर परियोजना (प्रदर्श 7) की डिलीवरी, स्थापना और कमीशनिंग की स्वीकृति के संबंध में है, और उस पत्र के माध्यम से 01.07.2015 से कोयला नेट उत्पादन के संदर्भ में अंतिम कमीशनिंग के लिए अनुरोध किया गया था।

ओ. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने या तो एनआईटी और आपूर्ति आदेश के शब्दों को लापरवाही से लिया है या फिर जानबूझकर अनुबंध के अनुरूप काम नहीं किया है। यह सामान्य सिद्धांत है कि जब लिखित समझौता होता है तो मौखिक या मौखिक प्रतिबद्धता वर्जित होती है, जहां यह विशेष रूप से लिखित होती है। इसलिए अपीलकर्ता का यह तर्क कि यह प्रतिवादी थे जो अपने दृष्टिकोण में स्पष्ट नहीं थे, जिसके कारण आपूर्ति आदेश में तीन बार संशोधन किया गया, अस्वीकार्य था। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने एस्टोपल के नियम का तर्क दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलकर्ता ने काम को आगे बढ़ाया क्योंकि प्रतिवादियों ने मौखिक या लिखित आदेश के माध्यम से परियोजना के कार्यान्वयन में सहमति व्यक्त की।

पी. अपीलकर्ता द्वारा दावा किए गए नुकसान के संबंध में यह देखा जाना चाहिए कि परियोजना की प्रकृति क्या है। इन परियोजनाओं की परिकल्पना इस तरह से की गई है कि एक बार निरंतरता टूट जाने पर परियोजना कहीं नहीं ठहरती। यह परियोजना एक टर्नकी परियोजना थी, जिसमें सामग्री की आपूर्ति, वितरण, कमीशनिंग और स्थापना सभी परियोजना का हिस्सा थे। इसलिए केवल इसलिए कि परियोजना का अधिकांश भाग पूरा हो जाएगा, प्रतिवादियों के लिए तब तक कोई मदद नहीं होगी जब तक कि यह पूरी तरह से पूरी न हो जाए। यह ध्यान दिया जा सकता है कि यदि परियोजना पूरी तरह से पूरी हो गई है और केवल कमीशनिंग या एकीकरण की आवश्यकता है, तब भी परियोजना संबंधित व्यक्ति के लिए किसी काम की नहीं है। यह अपीलकर्ता और प्रतिवादियों का स्वीकार किया गया मामला है कि 16.09.2016 के बाद सर्वर बंद कर दिया गया था। इस प्रकार, यदि यह मान भी लिया जाए कि यह 16.09.2016 तक काम करता रहा, तब भी चूंकि यह स्वीकार किया गया है कि कमीशनिंग और एकीकरण का मामला 1 जुलाई 2015 से शुरू होना था। एक बार जब यह शुरू हो गया तो प्रतिवादियों की इस कंप्यूटर परियोजना पर निर्भरता पूरी हो गई, यह कल्पना करना दूर की बात नहीं है कि सर्वर और संबंधित उपकरणों के अचानक बंद होने से प्रतिवादियों को कितना नुकसान हुआ होगा।

क्यू. इस प्रकार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलकर्ता ने प्रतिवादियों को सामग्री की आपूर्ति की। स्थापना, कमीशनिंग और एकीकरण किया गया। प्रतिवादियों ने ग्यारह महीने से अधिक समय तक लाभ उठाया। अनुबंध के उल्लंघन का प्रभाव अपीलकर्ता पर 100% नहीं हो सकता। बेशक सर्वर के बंद होने और बंद होने के कारण प्रतिवादियों को नुकसान हुआ और परिणामस्वरूप अपीलकर्ता को भी नुकसान हुआ।

आर. इस प्रकार, इन सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद यह माना जाता है कि अपीलकर्ता प्रतिवादियों द्वारा स्वीकार किए गए और तय किए गए 1,44,18,600/- रुपये की सीमा तक प्रस्तुत बिलों का हकदार है। इस प्रकार, यह निर्णय लिया गया कि यह मुकदमा अपने वर्तमान स्वरूप में चलने योग्य है। अपीलकर्ता के पास मुकदमे के लिए वैध कारण था।

तदनुसार, मुद्दा संख्या । और ॥ अपीलकर्ता के पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ तय किया गया।

<u>मुद्दा संख्या III और IV के संबंध में</u>

एस. विद्वान न्यायालय ने अपीलकर्ता के दावों को विभिन्न क्षतिपूर्ति मदों के अन्तर्गत सूचीबद्ध किया। फिर माना कि प्रतिवादियों ने लिखित संशोधन या मौखिक निर्देश द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन में सहमति व्यक्त की है, लेकिन यह भी एक स्वीकृत स्थिति है और कोई भी आसानी से कल्पना कर सकता है कि प्रतिवादियों को भी इस कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा होगा कि उनकी निर्भरता कम्प्यूटर प्रणाली पर बहुत अधिक हो गई होगी। इसके अलावा जब सारा काम कम्प्यूटर प्रणाली पर किया जा रहा था और फिर अचानक सर्वर बंद हो गया, तो प्रतिवादियों पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा होगा। यद्यपि प्रतिवादियों ने कोई प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं किया है, लेकिन प्रतिवादियों के नुकसान की कल्पना करना कठिन नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में, जब अपीलकर्ता किसी न किसी कारण से दायित्व पूरा करने में विफल रहता है, तो क्षतिपूर्ति देना न्यायसंगत और उचित नहीं होगा। स्वीकृत मामला यह है कि यदि अपीलकर्ता के तर्क स्वीकार भी कर लिए जाएं, तब भी अपीलकर्ता को 49 महीनों तक रखरखाव सेवाएं प्रदान करनी थीं। अपीलकर्ता एनआईटी (प्रदर्श 2) और आपूर्ति आदेश (प्रदर्श 3) की आवश्यकता के अनुसार सुरक्षा जमा और प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रदान करने में भी विफल रहा। परिस्थितियों के तहत, विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा ऊपर उल्लिखित चार बिंदुओं पर नुकसान के कारण क्षतिपूर्ति का दावा करने के मामले में कोई योग्यता नहीं पाई।

टी. निष्पादन बैंक गारंटी के प्रतिवादियों द्वारा नकदीकरण के संबंध में तथ्यों को देखते हुए सही माना गया कि प्रतिवादी परियोजना के पूरा होने में देरी के कारण परिसमाप्त क्षति के लिए मुआवजा पाने के लिए उत्तरदायी थे और सर्वर के अचानक बंद होने से प्रतिवादियों को भारी नुकसान हुआ।

13. पक्षों ने अपनी दलीलों का सारांश तथा तारीखों की सूची भी दाखिल कर दी है।

14. इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता का मामला

14(ए) क्षतिपूर्ति के संबंध में प्रार्थना निम्नलिखित तीन आधारों पर खारिज कर दी गई है और इनमें से प्रत्येक आधार अस्थिर है।

क. आधार (1): अपीलकर्ता ने 49 महीनों तक सेवा रखरखाव प्रदान नहीं किया है। विद्वान न्यायालय ने निम्न कारणों से गलती की है:

i. अपीलकर्ता ने 49 महीनों के लिए सेवा रखरखाव के शुल्क के रूप में 3,63,50,528/- रुपये की मांग नहीं की। दावा 49 महीनों की शेष अवधि के लिए आपूर्ति किए गए उपकरणों के लिए था।

ii. पक्षों के बीच अनुबंध में स्पष्ट रूप से एक ओर उपकरणों की आपूर्ति और दूसरी ओर रखरखाव सेवाएं प्रदान करने के लिए अपीलकर्ता को अलग-अलग भुगतान का प्रावधान है।

iii. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि अपीलकर्ता ने अनुबंध के अनुसार सभी उपकरण आपूर्ति किए और प्रतिवादियों ने शेष 49 महीनों के लिए उन्हें अपने पास रखा। इस प्रकार, अपीलकर्ता शेष 49 महीनों के लिए उपकरणों की आपूर्ति के भुगतान का हकदार था।

ख. आधार (2): प्रतिवादियों को 16.09.2016 से 21.10.2016 तक सेवा के निलंबन के कारण नुकसान हुआ है। प्रतिवादियों द्वारा क्षति के लिए न तो कोई प्रति-दावा किया गया है और न ही

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 73 या धारा 74 के अनुसार कथित क्षति के दावे का समर्थन करने के लिए कोई साक्ष्य या सबूत प्रस्तुत किया गया है।
ii. प्रतिवादियों ने पहले अपीलकर्ता को दिनांक 24.09.2016 को लिखे अपने पत्र में प्रतिदिन 10 करोड़ रुपये के कथित नुकसान का दावा किया था। हालाँकि, लिखित बयान में भी इसका दावा नहीं किया गया है, सबूतों के ज़रिए इसे साबित करना तो दूर की बात है।
iii. विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने पूरी तरह से धारणा और अनुमान के आधार पर काम किया है। किसी भी दलील, सबूत या प्रमाण के अभाव में, इसने गलत तरीके से पाया है कि, 'कोई भी कल्पना कर सकता है कि प्रतिवादी को भी भारी नुकसान हुआ होगा।
iv. प्रतिवादी के दिनांक 20.03.2015 के पत्र में परिसमाप्त नुकसान का उल्लेख किया गया था, लेकिन इसे कभी भी अंतिम रूप से नहीं लगाया गया। इस प्रकार, प्रतिवादी खुद अच्छी तरह से जानते थे कि उनके द्वारा कोई भी नुकसान साबित नहीं किया जा सकता है।
v. उपरोक्त के मद्देनजर, प्रतिवादियों की ओर से नुकसान या हानि का अभाव एक स्वीकृत स्थिति है।
सी. आधार (3): अपीलकर्ता सुरक्षा जमा और प्रदर्शन बैंक गारंटी जमा करने में विफल रहा है। विद्वान न्यायालय ने निम्नलिखित प्रस्तुतियों के मद्देनजर गलती की है:
i. यह तथ्यात्मक निष्कर्ष विकृत है क्योंकि यह अनुबंध की प्रासंगिक शर्तों और नीचे दिए गए तथ्यात्मक विवरण पर विचार नहीं करता है।
• अनुबंध की योजना के अनुसार, अपीलकर्ता को: सबसे पहले, बोली के साथ बयाना राशि जमा (ईएमडी) जमा करनी थी; दूसरा, अनुबंध के निष्पादन के बाद, ईएमडी को सुरक्षा जमा (एसडी) से बदलना था; तीसरा, कमीशनिंग के बाद, एसडी को प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) में बदलना था।
• बेशक, ईएमडी 10 लाख रुपये की एक निश्चित राशि थी जिसे निविदा जमा करने के समय जमा किया गया था। हालांकि, एसडी और पीबीजी दोनों अनुबंध मूल्य के अंतिम रूप पर निर्भर थे, यानी, दिए गए अनुबंध का 10% मूल्य।
• माना कि फॉर्म सी की आपूर्ति न किए जाने तथा प्रतिवादियों की ओर से स्पष्टता की कमी के कारण प्रतिवादियों द्वारा अनुबंध मूल्य को 08.03.2016 को ही अंतिम रूप दिया गया।
• माना कि अनुबंध मूल्य को अंतिम रूप दिए जाने तक परियोजना 20.05.2015 को ही चालू हो चुकी थी, जिसके परिणामस्वरूप सुरक्षा जमा जमा करने का दूसरा चरण पहले ही बीत चुका था तथा अप्रासंगिक हो गया था।

• माना कि अनुबंध मूल्य को 08.03.2016 को अंतिम रूप दिए जाने के तुरंत बाद अपीलकर्ता ने 22.04.2016 को पीबीजी प्रस्तुत किया, जिसके विरुद्ध अपीलकर्ता को 10 लाख रुपए की उपरोक्त ईएमडी वापस कर दी गई।
ii. आपूर्ति आदेश के खंड 8 के मद्देनजर, बिना किसी पूर्वाग्रह के, ओटीसी या मासिक किराये का भुगतान कभी भी एसडी या पीबीजी की जमा राशि से जुड़ा नहीं था।
iii. बिना किसी पूर्वाग्रह के, बेशक, प्रतिवादियों ने अपीलकर्ता द्वारा सुरक्षा जमा न जमा करने के कारण अनुबंध के कथित उल्लंघन का मुद्दा कभी नहीं उठाया था, जब तक कि भुगतान न करने के कारण अपीलकर्ता द्वारा सेवाओं को निलंबित नहीं कर दिया गया था। यह परियोजना

के चालू होने के बहुत बाद और दूसरे चरण के बहुत बाद की बात थी जब एसडी दिया जाना था। इसलिए, यह छूट या स्वीकृति का एक स्पष्ट मामला है।

iv. बिना किसी पूर्वाग्रह के, प्रतिवादियों ने सुरक्षा जमा न जमा करने के कारण किसी भी पूर्वाग्रह या नुकसान को नहीं दिखाया या साबित नहीं किया है, खासकर जब बाद में अपीलकर्ता द्वारा पीबीजी जमा किया गया था।

14(बी) तैनात जनशक्ति को दिए गए दो महीने के पारिश्रमिक के कारण नुकसान - 5,70,265 रुपये: **इस दावे को बहस के दौरान छोड़ दिया गया है।**

14(सी) जुलाई 2016 से जनवरी 2017 तक प्रतिवादियों को प्रदान की गई रखरखाव सेवाओं के कारण नुकसान - 19,95,928 रुपये:

ए. प्रति माह सेवा लागत 2,83,892.84 रुपये थी।

बी. इसलिए, अपीलकर्ता द्वारा सात महीने की सेवा लागत का दावा किया जा रहा है।

14(डी) प्रतिवादियों द्वारा उठाए गए किसी भी नुकसान का कोई सबूत नहीं है जो उनके द्वारा प्रदर्शन बैंक गारंटी के 64,78,756/- रुपये के नकदीकरण को उचित ठहराता है।

(i). विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने माना है कि, "प्रदर्शन बैंक गारंटी के संबंध में प्रतिवादी द्वारा नकदीकरण सही था, क्योंकि तथ्य यह है कि परियोजना के पूरा होने में देरी और सर्वर के अचानक बंद होने के कारण प्रतिवादी को भारी नुकसान हुआ, जिसके कारण उन्हें परिसमाप्त क्षति के लिए मुआवजा मिलना चाहिए।" (ii). उपरोक्त निष्कर्ष गलत है क्योंकि:

ए. प्रतिवादियों ने वास्तव में अपीलकर्ता पर परिसमाप्त क्षति कभी नहीं लगाई।

बी. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 17.06.2015 के पत्र के माध्यम से आपत्तियों पर सीसीएल द्वारा अंत तक निर्णय नहीं लिया गया। देरी सीसीएल के कारण हुई क्योंकि प्राप्तकर्ता बदल गया था क्योंकि प्राप्तकर्ता स्थानीय कर विभाग के साथ पंजीकृत नहीं था।

सी. प्रतिवादियों को एलडी वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष दलील और साक्ष्य के माध्यम से वास्तविक नुकसान की मात्रा निर्धारित करके पीबीजी के नकदीकरण को उचित ठहराना था, जो निश्चित रूप से नहीं किया गया था। चूंकि प्रतिवादियों द्वारा कोई नुकसान नहीं माना गया या साबित नहीं किया गया, इसलिए पीबीजी का नकदीकरण पूरी तरह से अनुचित है। डी. कैलाश नाथ एसोसिएट्स बनाम डीडीए, (2015) 4 एससीसी पर भरोसा रखा गया है।

14(ई) तथ्यों के विकृत निष्कर्ष:

(i) यह निष्कर्ष कि 'दोनों पक्षों को पता था कि ओटीसी का भुगतान न करना एस.डी. जमा करने में विफलता के कारण है', इस तरह के निष्कर्ष को उचित ठहराने के लिए रिकॉर्ड पर किसी भी साक्ष्य या दस्तावेज की अनुपस्थिति में गलत और विकृत है।

(ii) यह निष्कर्ष कि '24.03.2014 के आपूर्ति आदेश के खंड 7.4, 7.7, 7.8 और 7.9 के मद्देनजर, वादी को सुरक्षा जमा राशि और प्रदर्शन बैंक गारंटी राशि प्रस्तुत करने के संबंध में कमी पाई गई' गलत और विकृत है। प्रासंगिक खंड आपूर्ति आदेश का खंड 12 है। खंड 7.4 और खंड 7.7 मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं। खंड 7.8 और 7.9 आपूर्ति आदेश में मौजूद ही नहीं हैं।

(iii) यह निष्कर्ष कि 'अनुबंध के अनुसार, प्रतिवादी कंपनी के आपूर्ति आदेश में सुरक्षा जमा और प्रदर्शन बैंक गारंटी अलग-अलग निर्धारित की गई थी और वादी को अनुबंध के तहत दोनों देने की आवश्यकता थी' गलत और विकृत है और एनआईटी के खंड 3, एनआईटी के जीसीसी के खंड 16 (बी) और एनआईटी के खंड 12 के विपरीत है जिसमें कहा गया है कि एसडी को पीबीजी में परिवर्तित

किया जाएगा और एनआईटी के खंड 10 में कहा गया है कि पीबीजी को कमीशन के बाद दिया जाना है। (iv)। यह निष्कर्ष कि "इस प्रकार, एनआईटी (प्रदर्श 2) और आपूर्ति आदेश (प्रदर्श 3) से यह स्पष्ट है कि राशि दोनों दस्तावेजों में स्पष्ट और निश्चित थी, विशेष रूप से 28.03.2014 के आपूर्ति आदेश में। इसलिए वादी का यह तर्क कि आपूर्ति आदेश निश्चित नहीं था, किसी भी योग्यता से रहित है। यह हो सकता है कि कर संरचना में परिवर्तन के साथ संशोधित अनुबंध राशि के साथ यह बढ़ सकता था या घट सकता था, लेकिन उस समय वादी प्रतिवादी के दस्तावेजों के अनुसार कार्य कर सकता था।" त्रुटिपूर्ण और विकृत है।

क. एनआईटी के अनुलग्नक बीबी ने अपीलकर्ता को फॉर्म सी के खिलाफ सीएसटी की रियायती दर उद्धृत करने के लिए प्रदान किया, जिसके आधार पर अपीलकर्ता द्वारा मूल्य उद्धृत किया गया था।

ख. अपीलकर्ता ने सी फॉर्म की अनुपस्थिति में सीएसटी की पूर्ण दर की प्रयोज्यता का उल्लेख करते हुए आपूर्ति आदेश में आवश्यक संशोधन लाने के लिए दिनांक 11.05.2015, 27.05.2015, 17.06.2015 14.10.2015, 16.11.2015, 31.12.2015 और 05.02.2016 को विभिन्न पत्र लिखे।

ग. दिनांक 08.03.2016 के तीसरे संशोधन के माध्यम से प्रतिवादियों द्वारा बहुत देरी से संशोधन किया गया।

घ. इसलिए, प्रतिवादियों की जिम्मेदारी थी कि वे दोष को तुरंत सुधारें ताकि अनुबंध निष्पादित किया जा सके। इसके बावजूद अपीलकर्ता ने अनुबंध के अंतिम मूल्य पर कोई स्पष्टता के बिना 20.05.2015 को ही कार्य निष्पादित और पूरा कर लिया, जिसे परियोजना के चालू होने के लगभग 10 महीने बाद 08.03.2016 के संशोधन के माध्यम से ही स्पष्ट किया गया।

(v) यह निष्कर्ष निकालना कि "पूरे आपूर्ति आदेश या एनआईटी में कोई प्रतिबद्धता नहीं है कि सीसीएल सड़क परमिट या फॉर्म सी प्रदान करेगा" गलत है क्योंकि:

क. आपूर्ति आदेश दिनांक 28.03.2014 के खंड 16(एन) में प्रतिवादियों द्वारा सड़क परमिट जारी करने का प्रावधान है। ख. एनआईटी के अनुलग्नक बीबी में अपीलकर्ता को प्रतिवादियों द्वारा जारी किए जाने वाले फॉर्म सी के विरुद्ध सीएसटी की रियायती दर उद्धृत करने की आवश्यकता थी।

14(एफ) प्रतिवादियों द्वारा आपूर्ति आदेश की समाप्ति समझौते के विपरीत थी:

1. समाप्ति मनमाना, बिना किसी पूर्व सूचना के, तथा आपूर्ति आदेश के विपरीत थी। अपीलकर्ता के तर्कों और आपत्तियों पर विचार नहीं किया गया।

2. आपूर्ति आदेश के तहत सीसीएल को आपूर्ति आदेश को समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं था:

ए आपूर्ति आदेश का खंड 11(डी): प्रतिवादी केवल तभी समाप्त कर सकते थे, जब टर्नकी परियोजना की उपलब्धता 7वें महीने में लगातार 80% से नीचे चली जाती, उससे पहले कभी नहीं।

बी. आपूर्ति आदेश का खंड 18(सी): 60 महीने की समाप्ति पर।

3. समाप्ति पूर्व नियोजित थी- समाप्ति 13.01.2017 को हुई। लेकिन, अपने पहले पत्र दिनांक 01.11.2016 में प्रतिवादियों ने पुष्टि की थी कि सिस्टम को संचालित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पहले ही कर दी गई थी।

14(जी) अपीलकर्ता द्वारा सेवा के निलंबन पर

यह पाया गया कि अपीलकर्ता द्वारा सेवा का अचानक निलंबन "विश्वास का उल्लंघन" है और प्रतिवादी संख्या 1/सीसीएल के पास आपूर्ति आदेश को समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

क. प्रतिवादियों ने 08.03.2016 को 10 महीने की देरी के बाद आपूर्ति आदेश में संशोधन किया, जिसके बाद अपीलकर्ता, आपूर्ति आदेश के खंड 19 के कारण, बहुत देरी से बिल पेश कर सका।

ख. जब अपीलकर्ता द्वारा 12.05.2016 को बिल पेश किए गए, तो उन्हें 16.09.2016 तक फिर से मंजूरी नहीं दी गई, जब अपीलकर्ता को 29.08.2016 और 14.09.2016 को पूर्व नोटिस देने के बाद सेवाओं को निलंबित करने के लिए बाध्य किया गया।

ग. प्रतिवादियों ने बिना किसी औचित्य और उचित कारण के 16 महीने से अधिक समय तक भुगतान रोके रखा।

घ. इसलिए अपीलकर्ता द्वारा सेवाओं का निलंबन पूरी तरह से प्रतिवादियों की गलतियों के कारण था।

15. इस न्यायालय के समक्ष प्रतिवादियों का मामला

15(ए) आरआईएससी/ईपीआईसी सर्वरों की आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग और रखरखाव के लिए 28.03.2014 को आपूर्ति आदेश जारी किया गया था, साथ ही कुछ नियमों और शर्तों के तहत 5 साल के लिए किराये के आधार पर सहायक उपकरण भी दिए गए थे, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

क. आपूर्ति आदेश के खंड 5 (i) में समय-सीमा का उल्लेख है, जिसके दौरान पूरी परियोजना की आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग और एकीकरण पूरा किया जाना था। आपूर्ति आदेश की नियुक्ति से समय अवधि 08 सप्ताह बताई गई है।

ख. खंड 5 (ii) में कहा गया है कि यदि परियोजना के उपरोक्त निष्पादन में देरी होती है, तो आपूर्ति आदेश के खंड 13 में दर्शाए अनुसार परिसमाप्त क्षतिपूर्ति लगाई जाएगी।

ग. खंड 7.4 परियोजना का सार इस प्रकार निर्दिष्ट करता है:-

> "सीसीसीएल में संबद्ध सहायक उपकरणों के साथ आरआईएससी/ईपीआईसी सर्वर की आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग और रखरखाव के लिए टर्नकी परियोजना का सार समय पर उक्त परियोजना का सफल कार्यान्वयन है और परियोजना कार्यान्वयनकर्ता को परियोजना जीवन चक्र के दौरान इस पहलू को अत्यधिक महत्व देना चाहिए।"

घ. धारा 8 में दो शीर्षकों के अंतर्गत भुगतान की शर्तें निर्धारित की गई हैं, अर्थात् (i) एकमुश्त शुल्क (ओटीसी), और (ii) मासिक किराया (एमआर)। उपर्युक्त शुल्क परियोजना के सफल संचालन के बाद ही चुकाए जाने योग्य हैं।

ई. धारा 8 (डी) में उल्लेख किया गया है कि बैंक गारंटी जमा करने के बाद ही एमआर शुरू किया जा सकता है।

एफ. धारा 8 (आई) में कहा गया है कि किराये की अवधि समाप्त होने के बाद, परियोजना कार्यान्वयनकर्ता (अपीलकर्ता) ओटीसी के तहत कवर की गई वस्तुओं को छोड़कर सभी वस्तुओं को वापस लेने का हकदार होगा।

जी. धारा 8 (के) में आगे कहा गया है कि प्रतिवादियों (सीसीएल) के पास एक महीने का मासिक किराया देकर सभी घटकों का स्वामित्व लेने का विकल्प होगा।

एच. धारा 10 में अनुबंध राशि का 10%, संपूर्ण परियोजना की स्थापना और कमीशन के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, प्रदर्शन बैंक गारंटी के रूप में भुगतान करने का प्रावधान है।

आई. धारा 12 में प्रावधान है कि आपूर्ति आदेश के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अनुबंध की 10% की सुरक्षा जमा राशि जमा करनी होगी। असंतोषजनक प्रदर्शन और/या अनुबंध संबंधी विफलता के लिए इसे जब्त किया जा सकता है।

जे. धारा 13 में कहा गया है कि परिसमाप्त क्षति पूरी परियोजना लागत का 10% होगी।

15(बी) विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत आपूर्ति आदेश की गलत समाप्ति के कारण हानि और क्षति के लिए मुकदमे में दूसरी प्रार्थना।

15(सी) अनुबंध की कथित गलत समाप्ति के कारण आपूर्ति किए गए उपकरणों के संबंध में आपूर्ति किए गए उपकरणों के कारण हुए नुकसान से संबंधित प्रार्थना को विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने खारिज कर दिया। अपीलकर्ता ने अनुबंध समाप्त होने के बाद प्रतिवादियों को किराए के आधार पर आपूर्ति किए गए उपकरणों को वापस पाने का कोई प्रयास नहीं किया। उक्त उपकरण को खंड 8 (i) के अनुसार अनुबंध के अस्तित्व के दौरान प्रतिवादियों के परिसर में 05 (पांच) वर्षों की अवधि के लिए स्थापित किया जाना था। खंड 8 (i) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उपकरण अपीलकर्ता को वापस कर दिए जाएंगे। हालांकि, अपीलकर्ता ने उपकरण को वापस पाने का कोई प्रयास किए बिना, प्रतिवादियों द्वारा आपूर्ति किए गए उपकरणों की कीमत वसूलने की मांग की। हालांकि, अनुबंध की शर्तों से यह स्पष्ट है कि पक्षों का इरादा उपकरण को 05 (पांच) वर्षों की अवधि या अनुबंध के अस्तित्व की अवधि के दौरान बनाए रखने का था। इस प्रकार, एक बार अनुबंध समाप्त हो जाने पर, अपीलकर्ता उन सभी वस्तुओं/उपकरणों को वापस लेने का हकदार हो गया जो ओटीसी के तहत कवर नहीं थे। उपकरण/सर्वर किराए के आधार पर आपूर्ति किए गए थे और इसलिए, अपीलकर्ता उस अवधि के लिए किराये के भुगतान का दावा नहीं कर सकता है जिसके लिए उन्होंने अनुबंध के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान नहीं की थीं। अपीलकर्ता ने न तो दलील दी है और न ही साबित किया है कि प्रतिवादी-कंपनी अनुबंध की समाप्ति के बाद अपीलकर्ता द्वारा स्थापित उपकरणों का उपयोग कर रही है। आपूर्ति आदेश 05 वर्षों के लिए किराये के आधार पर आर आईएससी/ईपीआईसी सर्वर के साथ-साथ संबद्ध सहायक उपकरण की आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग और रखरखाव के लिए था।

15(डी) आपूर्ति आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि काम 08 (आठ) सप्ताह के भीतर पूरा किया जाना था और सुरक्षा जमा आपूर्ति आदेश की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर जमा किया जाना था। अनुबंध की इन दोनों शर्तों का पालन नहीं किया गया। अपीलकर्ता ने प्रतिवादियों को अनुबंध के निष्पादन के दौरान उनके सामने आने वाली कुछ समस्याओं के बारे में बताया और आपूर्ति आदेश में किए गए संशोधनों के माध्यम से प्रतिवादियों द्वारा उनका उचित समाधान किया गया।

23.04.2014	कुल अनुबंध मूल्य को अपरिवर्तित रखते हुए मूल्य विभाजन (मुद्रण त्रुटि) में संशोधन के लिए शुद्धिपत्र जारी किया गया।
09.10.2014	दो प्राप्तकर्ताओं (सीसीएल, मुख्यालय और कोलकाता) के नाम और पते में परिवर्तन की सूचना मेसर्स ऑरेंज बिजनेस सर्विसेज इंडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को दी गई।
20.03.2015	इस संशोधन के जारी होने की तिथि से एलडी लगाने के साथ आठ सप्ताह के लिए समय विस्तार प्रदान किया गया।

08.03.2016	सीसीएल बोर्ड के अनुमोदन से सीएसटी प्रावधान से संबंधित आपूर्ति आदेश के खंड संख्या 4 में संशोधन किया गया।

आपूर्ति आदेश दिनांक 28.03.2014 के माध्यम से, अनुबंध मूल्य निश्चित हो गया और अपीलकर्ता अनुबंध की शर्तों के अनुसार सुरक्षा जमा का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो गया। हालाँकि, अपीलकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 30.08.2014 में अपने सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं के बारे में आपत्तियाँ उठाईं। यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि उपरोक्त पत्र आपूर्ति आदेश जारी होने के 05 (पाँच) महीने बाद भेजा गया था, जबकि अनुबंध को पूरा करने का समय 08 (आठ) सप्ताह था।

15(ई) भुगतान में देरी अपीलकर्ता की ओर से हुई गलती के कारण हुई, क्योंकि उसके प्रस्ताव में उद्धृत कर सीएसटी की रियायती दर थी, जबकि बाद में अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि बिक्री कर की रियायती दर उन पर लागू नहीं होगी और बिक्री कर की पूरी दर लागू होगी। चूंकि उनके प्रस्ताव में कर गलत तरीके से उद्धृत किया गया था, इसलिए करों के भुगतान से संबंधित मुद्दे उठे। बिलों के प्रसंस्करण के समय भुगतान प्राधिकारी ने बताया कि अपीलकर्ता ने सुरक्षा जमा जमा नहीं किया था। देरी अपीलकर्ता द्वारा अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन के कारण हुई। इन मुद्दों को हल करने के लिए एक समिति गठित की गई और जब इन विवादों पर विचार किया जा रहा था, तो अपीलकर्ता ने सेवाएं बंद कर दीं, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादियों की आवश्यक सेवाएं ठप हो गईं। 15(एफ) चूंकि अपीलकर्ता ने अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया और इस प्रकार, वह सुरक्षा जमा को जब्त करने के लिए उत्तरदायी हो गया, चूंकि उपरोक्त राशि निश्चित नुकसान का एक उचित पूर्व अनुमान थी, जिसका उल्लेख आपूर्ति आदेश में किया गया था, उसे अनुबंध के उल्लंघन के लिए जब्त कर लिया गया था। कैलाश नाथ एसोसिएट्स बनाम डीडीए, (2015) 4 एससीसी 136 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर, अनुबंध के उल्लंघन से उत्पन्न निश्चित नुकसान के उचित अनुमान के रूप में निर्धारित राशि जब्त की जा सकती है। इसके अलावा, ओएनजीसी बनाम सॉ पाइप्स लिमिटेड, (2003) 5 एससीसी 705 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि यदि उल्लंघन के मामले में निश्चित नुकसान के रूप में राशि का भुगतान करने के लिए पूर्वकल्पित समझौता या आम सहमति है, प्रतिवादियों को उल्लंघन और इसके परिणामस्वरूप हुई हानि से व्यथित होकर अनुबंध मूल्य का 10% जब्त कर लिया गया, जिसे आपूर्ति आदेश के खंड 5 (ii) में परिसमाप्त क्षति के रूप में अनुमानित किया गया था।

15(जी) सुरक्षा जमा और प्रदर्शन बैंक गारंटी आपूर्ति आदेश में अलग-अलग निर्धारित की गई थी और दोनों को अनुबंध के निष्पादन के विभिन्न चरणों में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। आपूर्ति आदेश दिनांक 28.03.2014 के खंड 10 के अनुसार, अपीलकर्ता को संपूर्ण परियोजना की स्थापना और कमीशनिंग के 15 दिनों के भीतर अनुबंध मूल्य के 10% के बराबर प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) प्रस्तुत करना आवश्यक था। अपीलकर्ता निर्धारित अवधि से पहले दोनों जमा करने में विफल रहा। अपीलकर्ता ने आपूर्ति आदेश दिनांक 28.03.2014 के खंड 10 के अनुसार परियोजना के चालू होने की तिथि अर्थात 20.05.2015 से तीसरे संशोधन दिनांक 08.03.2016 की तिथि तक अनुबंध राशि के 10% की निष्पादन बैंक गारंटी जमा नहीं की, जिसका कारण यह था कि अनुबंध के मूल्य में अनिश्चितता थी और इसके अलावा आपूर्ति आदेश दिनांक 28.03.2014 के बाद प्रतिवादियों द्वारा सुरक्षा जमा जमा करने की कोई मांग नहीं की गई थी।

15(एच) अपीलकर्ता द्वारा 16.09.2016 को सेवाओं का अचानक निलंबन अनुबंध का गंभीर उल्लंघन था। प्रतिवादियों ने अपीलकर्ता से दिनांक 16.09.2016 और 17.09.2016 के ई-मेल के माध्यम से सेवाओं को तुरंत बहाल करने का अनुरोध किया, हालांकि, अपीलकर्ता ने सेवाओं को बहाल नहीं किया। इस रोक के कारण महत्वपूर्ण कार्यों का संचालन बंद हो गया, जिससे भारी नुकसान हुआ। अनुबंध वस्तुतः उसी समय समाप्त हो गया जब अपीलकर्ता ने सर्वर का संचालन बंद कर दिया और प्रतिवादियों के लिखित अनुरोध के बाद भी इसे फिर से शुरू नहीं किया। अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन के बाद अपीलकर्ता को हुए नुकसान का आकलन नहीं किया जा सका और इस प्रकार अनुबंध की शर्तों में ही उस खंड में पूर्वकल्पित था जिसमें परिसमाप्त क्षतियों का प्रावधान था।

15(आई.) परिसमाप्त क्षति एक पूर्व-अनुमानित हानि है जिस पर दोनों पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की गई थी और इसलिए, प्रतिवादियों को इसके लिए कोई प्रतिदावा दायर करने/उठाने की आवश्यकता नहीं थी।

15(जे) प्रतिवादियों ने 16.09.2016 को ही ई-मेल भेजकर सर्वर बंद न करने का अनुरोध किया तथा 17.06.2016 को तत्काल सेवा बहाल करने का ई-मेल भेजा। अपीलकर्ता के असहयोगात्मक रवैये के कारण उत्पन्न विवाद को देखते हुए प्रतिवादियों ने 16.09.2016 को एक समिति गठित की, जिसने 20.09.2016 को अपनी रिपोर्ट दी।

15(के) 16.09.2016 को गठित उक्त समिति ने 20.09.2016 को निम्नलिखित सिफारिशें कीं;

1. चूंकि मेसर्स ऑरेंज द्वारा कानूनी मुद्दे उठाए गए हैं, इसलिए इन मुद्दों और संशोधनों का मामला कानूनी विभाग को भेजा जा सकता है।
2. अनुबंध/सामान्य नियम एवं शर्तों (खण्ड संख्या 20) के प्रावधान के अनुसार सुरक्षा जमा (एसडी) जमा न करने के लिए वादी के विरुद्ध उचित समझी जाने वाली कार्रवाई की जा सकती है।
3. यदि कोई विकल्प नहीं बचा है तो अनुबंध के सुरक्षा जमा खण्ड को माफ करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए;
4. अनुबंध के प्रावधान के अनुसार एलडी (परिसमाप्त क्षति) लगाया जाना चाहिए;

15(एल) समिति निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंची:

1. एनआईटी के अनुसार अनुबंध के उल्लंघन में संदर्भित कार्य को समाप्त करने की कार्रवाई पर विचार किया जा सकता है;
2. वास्तविक नुकसान का उचित और उचित आकलन करने के बाद वसूली के लिए कार्रवाई करने पर विचार किया जा सकता है;
3. दिसंबर 2016 तक सीसीएल (प्रतिवादी) के डिजिटलीकरण को प्राप्त करने और जीएसटी की प्रयोज्यता को ध्यान में रखते हुए, सर्वर परियोजना को फिर से शुरू करने या नए सर्वर की खरीद/किराए पर लेने के लिए तीसरे पक्ष की नियुक्ति के लिए कार्रवाई पर तत्काल विचार किया जा सकता है। अप्रैल 2017.

15(एम) अपीलकर्ता के साथ अनुबंध समाप्त करने और नया अनुबंध प्रदान करने के प्रस्ताव प्रतिवादी-सीसीएल के निदेशक मंडल के समक्ष 29.11.2016 को आयोजित अपनी 432वीं बैठक में रखे गए और इसे मंजूरी दे दी गई। परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता को दिनांक 13.01.2017 का समाप्ति पत्र भेजा गया। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, दिनांक 28.03.2014 का आपूर्ति आदेश रद्द कर दिया गया और वादी द्वारा प्रस्तुत निष्पादन बैंक गारंटी को भुना लिया गया।

15(एन) आक्षेपित निर्णय वाणिज्यिक न्यायालय, रांची के विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत दलीलों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद पारित किया गया है और इसलिए, तत्काल अपील खारिज किए जाने योग्य है।

इस न्यायालय के निष्कर्ष

16. संक्षेप में, अपीलकर्ता का मामला यह है कि आपूर्ति आदेश जारी होने पर, अपीलकर्ता ने आपूर्ति आदेश के लिए अपनी सशर्त स्वीकृति प्रस्तुत की क्योंकि कर दरों सहित मूल्य विभाजन विवरण के संबंध में विभिन्न विसंगतियां और अस्पष्टताएं थीं। मूल्य विभाजन और कराधान के संबंध में आपूर्ति आदेश में अस्पष्टता के कारण, अपीलकर्ता आपूर्ति आदेश के खंड 10 के अनुसार प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) प्रस्तुत नहीं कर सका क्योंकि प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) के संबंध में राशि निश्चित नहीं थी। आपूर्ति आदेश के खंड 12 के अनुसार सुरक्षा जमा के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया है कि सुरक्षा जमा को प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) में परिवर्तित किया जाना था और इस प्रकार कोई अलग दायित्व नहीं था। मूल्य विभाजन और कर के संबंध में स्पष्टता के बाद प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) विधिवत प्रस्तुत की गई थी और इस उद्देश्य के लिए उत्तरदाताओं द्वारा अंतिम रूप से 08.03.2016 को तीन शुद्धिपत्र जारी किए गए थे। अनुबंध मूल्य के 10% के लिए प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) 22.04.2016 को प्रस्तुत की गई थी। इसके अलावा, परियोजना को चालू करने में देरी को यह कहते हुए समझाया गया है कि आवश्यक फॉर्म सी और परमिट जारी नहीं किए गए थे और 20.03.2015 के दूसरे शुद्धिपत्र के माध्यम से 8 सप्ताह का विस्तार दिया गया था और परियोजना 20.05.2015 को चालू हुई थी। प्रतिवादियों को सेवाओं को बंद करने के बारे में बताते हुए, यह कहा गया है कि अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए बिलों का भुगतान आपूर्ति आदेश में निर्धारित 21 दिनों के समय के भीतर नहीं किया गया था और बिलों का भुगतान न करने के बारे में शिकायत करने वाले प्रतिवादियों को उचित नोटिस देने के बाद सेवाएं बंद कर दी गईं और इस प्रकार प्रतिवादियों ने अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया है। उनका मामला यह है कि 16.09.2016 से सहायक रखरखाव सेवाएं वापस ले ली गईं और सर्वर बंद कर दिए गए और 16.09.2016 और 17.09.2016 को दो ई-मेल के माध्यम से प्रतिवादियों के अनुरोध पर 21.10.2016 को सेवाएं बहाल कर दी गईं। हालांकि, प्रतिवादियों ने 01.11.2016 के पत्र के माध्यम से अपीलकर्ता को सूचित किया कि सेवाओं की बहाली और जनशक्ति की तैनाती निरर्थक हो गई है और आरोप लगाया कि अपीलकर्ता ने आपूर्ति आदेश की शर्तों का उल्लंघन किया है और 13.01.2017 के पत्र के माध्यम से आपूर्ति आदेश को समाप्त करने का विकल्प चुना और 25.01.2017 को गलत तरीके से प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) को भुनाया और 64,78,756/- रुपये की राशि प्राप्त की। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादियों के पास अनुबंध के तहत अनुबंध को उस तरीके से समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं था, जैसा कि किया गया है और अनुबंध को केवल दो आकस्मिकताओं के तहत समाप्त किया जा सकता है: -

> क.आपूर्ति आदेश का खंड 11(डी): प्रतिवादी केवल तभी अनुबंध समाप्त कर सकते थे, जब टर्नकी परियोजना की उपलब्धता 7वें महीने में लगातार 80% से कम हो जाती थी, उससे पहले नहीं।
>
> ख. आपूर्ति आदेश का खंड 18(सी): 60 महीने की समाप्ति पर।

यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अनुबंध समाप्त करना पूर्व नियोजित था, क्योंकि प्रतिवादियों ने अपने पहले पत्र दिनांक 01.11.2016 में पुष्टि की थी कि सिस्टम को संचालित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पहले ही कर ली गई थी।

17. दूसरी ओर, प्रतिवादियों का यह मामला है कि अपीलकर्ता ने एनआईटी/आपूर्ति आदेश की शर्तों का उल्लंघन किया था और सुरक्षा राशि भी जमा नहीं की थी और अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन के लिए आपूर्ति आदेश को सही तरीके से समाप्त किया गया था। आपूर्ति आदेश में कोई अस्पष्टता नहीं थी। विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने सही तरीके से यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रतिवादियों के पास 28.03.2014 के आपूर्ति आदेश को समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

18. यद्यपि विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पक्षों की उपस्थिति में मुद्दे तैयार किए गए थे, लेकिन आपूर्ति आदेश की समाप्ति के आदेश की वैधता और वैधता के बिंदु पर कोई मुद्दा तैयार नहीं किया गया था। हालांकि, पक्षों ने अनुबंध की समाप्ति के बिंदु पर मामले का विरोध किया था और साक्ष्य पेश किए थे और विद्वान न्यायालय ने आपूर्ति आदेश की समाप्ति और संबंधित बिंदुओं पर निष्कर्ष दर्ज किए हैं। बहस के दौरान, पक्षों ने समाप्ति के आदेश की वैधता और वैधता के बिंदु पर बहस की है। तदनुसार, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात, वर्तमान मामले में निर्धारण हेतु निम्नलिखित बिंदु उठते हैं: -

(क) क्या प्रतिवादियों द्वारा दिनांक 28.03.2014 (प्रदर्श-3) के आपूर्ति आदेश को दिनांक 13.01.2017 (प्रदर्श 17) के तहत समाप्त करना न्यायोचित था।

(ख) क्या अपीलकर्ता निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का हकदार है:-

(i) अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादियों को 5 वर्ष की अवधि के लिए आपूर्ति किए गए उपकरणों के कारण हानि - 3,63,50,258 रुपए।

(ii) प्रतिवादियों द्वारा जुलाई 2016 से जनवरी 2017 तक अपीलकर्ता द्वारा प्रदान की गई रखरखाव सेवाओं के लिए भुगतान करने में विफलता के कारण हानि - 19,95,928 रुपए।

(iii) प्रदर्शन बैंक गारंटी के नकदीकरण के कारण हुई हानि - 64,78,756 रुपए।

(ग) क्या प्रतिवादी कोई प्रति-दावा दायर किए बिना 'परिसमापन क्षति' के शीर्षक के अंतर्गत निष्पादन बैंक गारंटी के आह्वान के माध्यम से एकत्रित किसी भी राशि को रखने के हकदार हैं?

(घ) क्या प्रतिवादियों द्वारा वास्तविक नुकसान या क्षति को साक्ष्य प्रस्तुत करके प्रमाणित किए बिना निष्पादन बैंक गारंटी का आह्वान करके परिसमापन क्षति के रूप में किसी भी राशि को रखने की अनुमति दी जा सकती है?

19. बहस के दौरान किसी भी पक्ष ने दस्तावेजों तथा पक्षों द्वारा संदर्भित दस्तावेजों की विषय-वस्तु पर कोई विवाद नहीं किया।

<u>निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) के महत्वपूर्ण खंड</u>

20. आगे बढ़ने से पहले, इस मामले में शामिल एनआईटी और आपूर्ति आदेश का संदर्भ लेना प्रासंगिक होगा।

20 (i) आरआईएससी/ईपीआईसी सर्वर की आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग और रखरखाव के लिए टर्नकी परियोजना के लिए निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) जारी की गई थी, साथ ही (5) वर्ष की अवधि के लिए किराये के आधार पर सहायक उपकरण भी उपलब्ध कराए गए थे (परियोजना)। वाणिज्यिक नियम और शर्तें और एनआईटी का उल्लेख एनआईटी के "अनुलग्नक - एए" में किया गया है, जिसके प्रासंगिक अंश निम्नानुसार उद्धृत किए गए हैं:

2. बयाना राशि जमा: एनआईटी के पृष्ठ 1 पर दर्शाए अनुसार बयाना राशि जमा (ईएमडी) केवल ई-भुगतान मोड के रूप में तकनीकी वाणिज्यिक बोली के साथ w w w .itie te te n d e rin g .c o m /C IL के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जानी चाहिए। बोलीदाता किसी भी अनुसूचित बैंक से एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से ईएमडी का भुगतान कर सकता है। बोलीदाता... 3. सुरक्षा जमा: सफल निविदाकर्ता को आपूर्ति आदेश की तारीख से 15 दिनों के भीतर बिना किसी सीमा के दिए गए अनुबंध (भूमि मूल्य) के 10% (दस प्रतिशत) मूल्य के लिए किसी भी अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट या बैंक गारंटी के रूप में सुरक्षा जमा राशि जमा करनी होगी। यदि सफल निविदाकर्ता सुरक्षा राशि जमा करने में विफल रहता है, तो आदेश रद्द कर दिया जाएगा और मामले को कहीं और आदेश देने के लिए संसाधित किया जाएगा और फर्म के प्रदर्शन को उनके साथ भविष्य के व्यवहार के लिए रिकॉर्ड किया जाना है। अनुबंध के संतोषजनक निष्पादन की तिथि से 30 दिनों के भीतर फर्म को सुरक्षा जमा राशि वापस कर दी जाएगी। असंतोषजनक प्रदर्शन और/या अनुबंध संबंधी विफलता के लिए, सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाएगी। सुरक्षा राशि को प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) में परिवर्तित किया जा सकता है (जहां अनुबंध के अनुसार पीबीजी की आवश्यकता होती है)। हालांकि, ऐसे मामले में पीबीजी की राशि ऑर्डर के लैंडेड मूल्य के 10% (दस प्रतिशत) से कम नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा जमा की छूट: ....."

14. लागू कर और शुल्क:

i. जब भी बोलीदाता उल्लेख करते हैं कि कर और शुल्क अतिरिक्त देय हैं, तो लागू करों और शुल्कों की वर्तमान दर को जोड़ा जाएगा।

यदि लागू हो तो उत्पाद शुल्क अतिरिक्त देय होगा...

सीसीएल द्वारा सीधे आयात के अलावा आयातित स्टोर के मामले में फर्म...

ii. यदि मूल्य में उत्पाद शुल्क शामिल बताया गया है, तो वर्तमान...

यदि उत्पाद शुल्क की दर टर्नओवर के साथ बदलती है.....

iii. बिक्री कर:

क.मूल्य वर्धित कर (वैट): .....

ख.केंद्रीय बिक्री कर: आपूर्ति के मामले में जहां केंद्रीय बिक्री कर लागू है। निविदा वस्तुओं के लिए लागू केंद्रीय बिक्री कर उद्धृत किया जाना चाहिए। यदि बोलीदाता को सीएसटी का भुगतान करने से छूट दी गई है या राष्ट्रीय दर से कम दर पर सीएसटी का भुगतान कर रहा है, तो वैध दस्तावेजी साक्ष्य की नोटरीकृत प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए (अपलोड और संलग्न)।

iv. यदि कोई अन्य शुल्क लागू है तो उस शुल्क का प्रकार तथा दर (%) बताई जानी चाहिए।

20 (ii) एनआईटी के आंतरिक पृष्ठ संख्या 19 पर, सीएसटी (केंद्रीय बिक्री कर) के तहत कर की रियायती दर / कर की पूरी दर का विशेष रूप से उल्लेख इस प्रकार किया गया है:

"नोट: यदि केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) लागू है, तो कृपया फॉर्म: सी' के सामने सीएसटी की रियायती दर / सीएसटी की पूरी दर उद्धृत करें।"

20 (iii) एनआईटी (अनुलग्नक-सीसी) के खंड संख्या 8, 9 और 15 में परिसमाप्त क्षति, प्रदर्शन सुरक्षा, भुगतान की शर्तें और अनुबंध की अवधि का उल्लेख है, जो निम्नानुसार उद्धृत हैं:

"8. <u>पूरा होने में देरी के लिए परिसमाप्त क्षति (एलडी) पूरी परियोजना</u> लागत का 0.5% प्रति सप्ताह या उसके भाग के रूप में, जैसा कि डिलीवरी, स्थापना, कमीशनिंग और

एकीकरण के पहले (i) खंड में बताया गया है, पूरी परियोजना लागत के 10% की अधिकतम सीमा के अधीन है।

9. प्रदर्शन सुरक्षा

प्रदर्शन सुरक्षा: सफल बोलीदाता द्वारा पूरे प्रोजेक्ट की स्थापना और कमीशनिंग के 15 दिनों के भीतर अनुबंध राशि का 10% नीचे दिए गए किसी भी फॉर्म में जमा किया जाना चाहिए:

- .....

15. अनुबंध की अवधि

क. अनुबंध कमीशनिंग की तारीख से लागू होगा और 60 महीने तक लागू रहेगा।

ख. उद्धृत किराया बिना किसी वृद्धि के पक्का होना चाहिए।

ग. खंड क के अनुसार उपर्युक्त अवधि की समाप्ति पर, अनुबंध समाप्त हो जाता है, जब तक कि ग्राहक के लिखित अनुरोध पर इसे आगे की अवधि के लिए और ऐसे नियमों और शर्तों पर नवीनीकृत नहीं किया जाता है, जिन पर पारस्परिक रूप से सहमति हो। अनुबंध को नवीनीकृत करने के अपने इरादे के बारे में ग्राहक द्वारा 3 महीने पहले लिखित सूचना दी जाएगी।"

एनआईटी (अनुलग्नक-डी) के खंड संख्या 16 (बी), 19 और 20 वितरण और वितरण में विफलता के परिणामों से संबंधित हैं, जो निम्नानुसार हैं:

"16 (बी) निविदा में सुरक्षा जमा खंड निर्धारित किया जाना चाहिए। सफल निविदाकर्ता को सुरक्षा जमा प्रस्तुत करने के लिए आदेश में दो सप्ताह (15 दिन) का समय दिया जाएगा। यदि फर्म सुरक्षा राशि जमा करने में विफल रहती है, तो आदेश रद्द कर दिया जाएगा और मामले को कहीं और आदेश देने के लिए संसाधित किया जाएगा और फर्म के प्रदर्शन को उनके साथ भविष्य के व्यवहार के लिए रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। सफल निविदाकर्ता द्वारा बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा की जाने वाली सुरक्षा राशि का मूल्य बिना किसी सीमा के दिए गए अनुबंध के मूल्य का 10% होगा। सफल निविदाकर्ता के लिए, ईएमडी को सुरक्षा राशि में परिवर्तित किया जाना चाहिए, जिसे एमएम विभाग के एचओडी/क्षेत्र के प्रमुख के अनुमोदन से अनुबंध के संतोषजनक निष्पादन के 30 दिनों के भीतर फर्म को वापस कर दिया जाएगा। असंतोषजनक प्रदर्शन और/या अनुबंध संबंधी विफलता के लिए, सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाएगी।

19. डिलीवरी:

'क्रय आदेश' में निर्धारित स्टोर्स की डिलीवरी का समय और तारीख अनुबंध का सार मानी जाएगी और स्टोर्स की डिलीवरी निर्दिष्ट तिथि तक पूरी होनी चाहिए।

20 आपूर्ति आदेश में उल्लिखित नमूनों और/या विनिर्देशों के अनुसार निर्धारित तिथि/अवधि के भीतर सामान की डिलीवरी या प्रेषण करने में विफलता की स्थिति में तथा आपूर्ति आदेश में उल्लिखित किसी भी नियम व शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों को यह अधिकार होना चाहिए:

(क) सफल निविदाकर्ता से सहमत परिसमाप्त क्षतिपूर्ति के रूप में, प्रत्येक सप्ताह या सप्ताह के उस भाग के लिए, जिसके दौरान ऐसे सामान की डिलीवरी बकाया हो सकती है, किसी भी सामान की कीमत का 0.5% (आधा प्रतिशत) से कम राशि वसूलने का अधिकार होगा, जिसकी आपूर्ति सफल निविदाकर्ता पूर्वोक्त रूप से नहीं कर पाया है। यह राशि 10% तक सीमित होगी। जहां आवश्यक समझा जाए, सामग्री प्रबंधन प्रभाग के प्रमुख के विवेक पर 10% की सीमा को बढ़ाकर 15% किया जा सकता है। (ख) सफल निविदाकर्ता को उचित नोटिस देने के पश्चात, चूककर्ता आपूर्तिकर्ता के खाते में तथा उसके जोखिम पर,

आपूर्ति न की गई सामग्री या समान प्रकार की अन्य सामग्री को अन्यत्र क्रय करना, आपूर्ति के लिए अभी तक देय नहीं हुई खेप के संबंध में आपूर्ति आदेश को रद्द किए बिना या-

(ग) आपूर्ति आदेश या उसके किसी भाग को रद्द करना, तथा यदि वांछित हो तो चूककर्ता आपूर्तिकर्ता के जोखिम और लागत पर सामग्री क्रय करना और साथ ही-

(घ) दंड के साथ या उसके बिना, जैसा कि उचित और उचित समझा जाए, वितरण की अवधि बढ़ाना, यदि दंड लगाया जाए तो वह ऊपर खंड (क) में निर्दिष्ट सहमत परिसमाप्त क्षति से अधिक नहीं होगा।

ङ) प्रतिभूति जमा को पूर्णतः या आंशिक रूप से जब्त करना।

(च) .....''

21. आपूर्ति आदेश के महत्वपूर्ण खंड

21 (i) आपूर्ति आदेश दिनांक 28.03.2014 आपूर्ति के दायरे को संदर्भित करता है और अलग-अलग उप-मदों वाले सीरियल नंबर 1 से 10 तक प्रत्येक आइटम का विवरण देता है। यह कर के बिना दर के साथ-साथ इकाई कर के साथ दर और दोनों घटकों का योग भी बताता है। आपूर्ति आदेश में दर्शाया गया कुल मूल्य 6,23,03,148.97 रुपये (छह करोड़ तेईस लाख तीन हजार एक सौ अड़तालीस और सत्तानबे पैसे मात्र) था। आपूर्ति आदेश में ही एकमुश्त शुल्क (ओटीसी), मासिक किराया शुल्क (एमआर शुल्क), उत्पाद लागत और सेवा लागत का विवरण दर्शाया गया है। आपूर्ति आदेश के खंड 4 में सीएसटी और सेवा कर का उल्लेख किया गया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उत्पाद लागत पर 2% सीएसटी और सेवा शुल्क पर 12.36% सेवा कर लगेगा।

21 (ii) आपूर्ति आदेश का खंड-5 वितरण, स्थापना, कमीशनिंग और एकीकरण से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि परियोजना एक टर्नकी परियोजना है और स्थापना 8 सप्ताह के भीतर पूरी होनी चाहिए, अन्यथा एलडी खंड के तहत एलडी (परिसमापन क्षति) के रूप में जुर्माना लगाया जाएगा और खंड (13) के अनुसार गणना की जाएगी। आपूर्ति आदेश के खंड 5, 7.4, 8 और 13 में निम्नलिखित लिखा है:

"5. डिलीवरी, स्थापना, कमीशनिंग और एकीकरण:

(i) संपूर्ण टर्नकी परियोजना की आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग और एकीकरण कार्य/आपूर्ति/खरीद आदेश की नियुक्ति की तिथि से आठ सप्ताह के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

(ii) जुर्माना: यदि परियोजना (आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग और एकीकरण) के निष्पादन में देरी होती है, तो एलडी क्लॉज के तहत संकेत के अनुसार एलडी लगाया जाएगा। एलडी की गणना क्लॉज (13) के अनुसार की जाएगी।

(iii) डिलिवरेबल्स: सभी सॉफ्टवेयर के लिए सभी उपयोगकर्ता मैनुअल (हार्ड और [या] सॉफ्ट कॉपी) की एक प्रति सभी वस्तुओं के लिए किसी भी अन्य तकनीकी साहित्य/पत्रक के साथ आपूर्ति की जाएगी। रिस्क/एपिक सर्वर, सैन स्टोरेज, सैन स्विच, एलटीओ टेप लाइब्रेरी और लाइन प्रिंटर आदि की चरणबद्ध कॉन्फ़िगरेशन प्रक्रिया प्रस्तुत की जानी है।

7.4. सीसीएल में आरआईएससी/ईपीआईसी सर्वर के साथ-साथ संबद्ध सहायक उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग और रखरखाव के लिए टर्नकी परियोजना का सार समय पर उक्त परियोजना का सफल कार्यान्वयन है और परियोजना कार्यान्वयनकर्ता को परियोजना जीवन

चक्र के दौरान इस पहलू को अत्यधिक महत्व देना चाहिए। 8. भुगतान शर्तें:- क. सीसीएल में आरआईएससी/ईपीआईसी सर्वर के साथ-साथ संबद्ध सहायक उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग और रखरखाव के लिए टर्नकी परियोजना के प्रत्येक समूह [समूह का विवरण दिया गया है) के सभी सामानों की डिलीवरी के बाद स्पष्ट और स्वीकार्य बिल/चालान (तीन प्रतियों में) जमा करने की तारीख से 21 दिनों के भीतर एकमुश्त शुल्क (ओटीसी) का 80% भुगतान किया जाएगा। ख. प्रत्येक समूह के लिए वस्तुओं का चालान (तीन प्रतियों में) [जैसा कि ऊपर (क) में कहा गया है] प्रत्येक समूह के एचसीसी/आरसीसीएस/एसीसी के नामित कंप्यूटर केंद्र प्रभारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होना चाहिए। ग. एकमुश्त प्रभार (ओटीसी) के लिए शेष 20% का भुगतान परियोजना के सफल चालू होने के बाद स्पष्ट और स्वीकार्य बिल/चालान (तीन प्रतियों में) जमा करने की तारीख से 21 दिनों के भीतर किया जाएगा, जैसा कि वितरण, स्थापना, कमीशनिंग और एकीकरण के पहले (i) खंड में कहा गया है, जो प्रत्येक समूह (समूह का विवरण दिया गया है) के एचसीसी/आरसीसीएस/एसीसी के प्रभारी कंप्यूटर केंद्र द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है और सीसीएल मुख्यालय में स्थित मुख्य परियोजना समन्वयकों द्वारा आगे प्रमाणित किया गया है।

घ. उक्त टर्नकी परियोजना का मासिक किराया (एमआर) पूरी टर्नकी परियोजना के अंतिम कमीशन और सीसीएल के नियमों और शर्तों के अनुसार बैंक गारंटी जमा करने के बाद ही शुरू किया जा सकता है।

इ. मासिक किराये का बिल तीन प्रतियों में प्रत्येक माह के अंत में बनाया जाएगा और इसकी प्राप्ति और स्वीकृति के 21 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा। उक्त भुगतान प्रत्येक समूह के एचसीसी/आरसीसी/एसीसी के प्रभारी नामित कंप्यूटर केंद्र द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रदर्शन प्रमाण पत्र (दो प्रतियों में) के आधार पर किया जाएगा [समूह का विवरण दिया गया है] और सीसीएल मुख्यालय में स्थित नामित मुख्य परियोजना समन्वयकों द्वारा आगे प्रमाणित किया जाएगा।

च. एकमुश्त शुल्क (ओटीसी) 3 महीने के किराये से अधिक नहीं होना चाहिए और यह सीमा केवल ओटीसी और एमआर (मासिक किराया) दोनों के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के लिए लागू है। 3 महीने के किराये की यह सीमा पूरी परियोजना पर लागू नहीं है।

छ. मूल्य गिरावट खंड: डिलीवरी के पूरा होने तक, यदि आपूर्तिकर्ता किसी ग्राहक को सीसीएल के समान विवरण की वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं, तो ऐसे अवसर पर ओटीसी और किराया शुल्क सीसीएल को आपूर्ति की गई/आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं से कम नहीं होना चाहिए।

ज. यदि किसी भी समय, डिलीवरी के पूरा होने तक, किसी भी कारण से मूल्य/किराया शुल्क में कमी होती है, तो (ऐसी कमी का) लाभ सीसीएल को दिया जाना है। किराये की अवधि समाप्त होने के बाद, परियोजना कार्यान्वयनकर्ता उन वस्तुओं को छोड़कर सभी वस्तुओं को वापस लेने का हकदार होगा जो केवल ओटीसी (एकमुश्त शुल्क) के अंतर्गत आती हैं।

जे. किराये की अवधि समाप्त होने के बाद, सीसीएल के पास पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर अनुबंध को बढ़ाने का विकल्प होगा। ऐसे विस्तार के लिए सीसीएल द्वारा 3 महीने पहले सूचना दी जाएगी।

क. किराये की अवधि समाप्त होने के बाद, सीसीएल के पास एक महीने का मासिक किराया देकर टर्नकी प्रोजेक्ट के सभी घटकों का स्वामित्व लेने का विकल्प होगा।

एल. अनुबंध अवधि के दौरान भविष्य की आवश्यकता, यदि कोई हो, तो कार्य आदेश में परिभाषित मद दर के अनुसार चार्ज की जाएगी और यह पूरे अनुबंध अवधि यानी 5 वर्ष के लिए लागू होगी।

13) परिसमाप्त क्षति:

पूरी परियोजना लागत का 0.5% प्रति सप्ताह या उसके हिस्से के रूप में जैसा कि डिलीवरी, स्थापना, कमीशनिंग और एकीकरण के पहले (i) खंड में कहा गया है, पूरी परियोजना लागत के 10% की अधिकतम सीमा के अधीन है।"

13) परिसमाप्त क्षति:

पूरी परियोजना लागत का 0.5% प्रति सप्ताह या उसके हिस्से के रूप में डिलीवरी, स्थापना, कमीशनिंग और एकीकरण के पहले (i) खंड में बताए अनुसार, पूरी परियोजना लागत के 10% की अधिकतम सीमा के अधीन।"

21 (iii) आपूर्ति आदेश के खंड 10 में प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) का उल्लेख है, खंड 12 में सुरक्षा जमा (एसडी) का उल्लेख है, जो निम्नानुसार उद्धृत हैं:

"10. प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी): अनुबंध राशि का 10% यानी रु. 62,35,000.00 (रु. बासठ लाख पैंतीस हजार, मात्र) सफल बोलीदाता द्वारा पूरे प्रोजेक्ट की स्थापना और कमीशनिंग के 15 दिनों के भीतर नीचे दिए गए किसी भी फॉर्म में जमा किया जाना चाहिए:

• अनुलग्नक-पी में प्रारूप के अनुसार बोली दस्तावेज में दिए गए फॉर्म में बैंक गारंटी।

• सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के पक्ष में किसी भी अनुसूचित बैंक में तैयार डिमांड ड्राफ्ट, जो रांची में इसकी शाखा में देय हो। बैंक गारंटी के रूप में जमा की गई प्रदर्शन सुरक्षा को अनुबंध के सफल समापन/समापन पर विधिवत रूप से चुकाया जाएगा और ठेकेदार को वापस कर दिया जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रदर्शन सुरक्षा जमा अनुबंध के पूरा होने / समाप्ति के समय वापस कर दी जाएगी। यदि सफल बोलीदाता द्वारा बैंक गारंटी के रूप में प्रदर्शन सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो उसे किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी किया जाएगा। उक्त प्रदर्शन गारंटी पूरे प्रोजेक्ट जीवन चक्र के लिए वैध होगी, अर्थात पांच साल और तीन महीने की अवधि जो अनुबंध के समापन तक वैध होगी।

यदि कोई दावा लंबित नहीं है तो निष्पादन बैंक गारंटी वैधता अवधि की समाप्ति के बाद जारी कर दी जाएगी।

12) सुरक्षा जमा:- आपको आपूर्ति आदेश की तिथि से 15 दिनों के भीतर किसी भी सीमा के बिना, किसी भी अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट या बैंक गारंटी के रूप में प्रदान किए गए अनुबंध (भूमि मूल्य) के 10% (दस प्रतिशत) मूल्य के लिए सुरक्षा जमा राशि जमा करनी होगी, अर्थात रु. 62,35,000.00 (रु. बासठ लाख पैंतीस हजार मात्र) के लिए। अनुबंध के संतोषजनक निष्पादन की तिथि से 30 दिनों के भीतर सुरक्षा जमा राशि फर्म को वापस कर दी जाएगी। असंतोषजनक प्रदर्शन और/या अनुबंध संबंधी विफलता के लिए, सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाएगी।

22. आपूर्ति आदेश में संशोधन/एलडी के साथ समय विस्तार/केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) की पूर्ण दर

22 (i) आपूर्ति आदेश का पहला शुद्धिपत्र दिनांक 23.04.2014 के पत्र द्वारा जारी किया गया था तथा इसे निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:

"विषय आपूर्ति आदेश के लिए निम्नलिखित शुद्धिपत्र जारी किया जाता है: -

01) अनुलग्नक-ए के अंतिम कॉलम में विस्तृत मूल्य विवरण को सही किया गया है।

सही अनुलग्नक-ए इसके साथ संलग्न है।

विषय आपूर्ति आदेश के अन्य सभी नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।"

दिनांक 23.04.2014 के पत्र के अनुलग्नक-ए की तुलना मूल आपूर्ति आदेश के अनुलग्नक-ए से करने पर पता चलता है कि आपूर्ति आदेश के मूल्य की कुल राशि समान थी।

22 (ii) आपूर्ति आदेश का दूसरा शुद्धिपत्र दिनांक 20.03.2015 के पत्र द्वारा जारी किया गया था, जो परिसमाप्त क्षति (आपूर्ति आदेश के खंड 5) के साथ समय के विस्तार और प्राप्तकर्ता के विवरण (आपूर्ति आदेश के खंड-6) में परिवर्तन से संबंधित था। दिनांक 20.03.2015 के पत्र के जारी होने की तिथि से आठ सप्ताह का समय बढ़ाया गया था।

"विषय आपूर्ति आदेश में निम्नलिखित सीमा तक संशोधन किया जाता है:-

01) वितरण, स्थापना, कमीशनिंग और एकीकरण (खंड-5): - संपूर्ण ट्रंकी परियोजना की आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग और एकीकरण के लिए इस संशोधन के जारी होने की तिथि से एल.डी. लगाने के साथ आठ सप्ताह का विस्तार प्रदान किया जाता है।

02) प्राप्तकर्ता का विवरण (खण्ड - 6):- सीसीएल मुख्यालय के लिए प्राप्तकर्ता अर्थात जीएम (सिस्टम) को डिपो अधिकारी, केंद्रीय भंडार, बरकाकाना में बदल दिया गया है।

आपूर्ति आदेश के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

23. दिनांक 11.05.2015 के पत्र के अनुसार, अपीलकर्ता ने कहा कि स्थापना लगभग पूरी हो चुकी है और वे फॉर्म सी के अभाव में सीएसटी की पूरी दर और प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति के भुगतान का उल्लेख करते हुए आपूर्ति आदेश में संशोधन का इंतजार कर रहे हैं। दिनांक 27.05.2015 के पत्र के अनुसार अपीलकर्ता ने कहा कि उन्होंने लगभग 10 महीने पहले सभी सामान खरीद लिए थे और उनकी ओर से उन्हें स्थापित और चालू कर दिया गया था, लेकिन फॉर्म सी के संबंध में आपूर्ति आदेश में संशोधन के अभाव में वे बिल नहीं दे पा रहे थे। यह केवल 17.06.2015 को था कि अपीलकर्ता ने, अन्य बातों के साथ-साथ, दूसरे शुद्धिपत्र में एलडी (परिसमापन क्षति) लगाए जाने के बारे में मुद्दा उठाया और उस पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। अंततः, परियोजना की डिलीवरी, स्थापना और कमीशनिंग को प्रतिवादियों द्वारा दिनांक 30.11.2015 के पत्र के माध्यम से पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर स्वीकार कर लिया गया, और कमीशनिंग की तिथि 01.07.2015 मान ली गई, हालांकि यह भी दर्ज किया गया कि अपीलकर्ता ने सूचित किया था कि उन्होंने 20.05.2015 तक परियोजना की कमीशनिंग पूरी कर ली थी। इस प्रकार, अपीलकर्ता केवल 01.07.2015 से ही बिल प्राप्त करने का हकदार था। प्रतिवादियों द्वारा जारी दिनांक 30.11.2015 के पत्र की विषय-वस्तु इस प्रकार उद्धृत की गई है: -

> "हमें आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे आपूर्ति आदेश संख्या 155011114271 दिनांक 28.03.2014 के अनुसार सीसीएल सर्वर परियोजना की डिलीवरी, स्थापना और कमीशनिंग उक्त आपूर्ति आदेश में उल्लिखित सभी स्थानों पर 20 मई 2015 तक सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। हालांकि, इन कमीशन किए गए सर्वरों को ओरेड और कोलनेट सॉफ्टवेयर और डब्ल्यू ए एन परियोजना के साथ मिलाने पर विचार करते हुए, कोलनेट आउटपुट के संदर्भ में अंतिम कमीशनिंग 1 जुलाई-2015 से आपसी सहमति से की गई है, इसलिए आप 1 जुलाई 2015 से उक्त आपूर्ति आदेश के अनुसार मासिक किराये के बिलिंग के लिए अधिकृत हैं और साथ ही ओटीसी (वन टाइम चार्ज) यदि कोई हो तो वह भी।"

24. इस प्रकार, अपीलकर्ता के सर्वश्रेष्ठ मामले के अनुसार भी, परियोजना के चालू होने की तिथि 20.05.2015 थी। चालू होने की यह तिथि 20.03.2015 (एलडी के साथ) से 8 सप्ताह के लिए बढ़ाई

गई अवधि से भी आगे थी। बिल बनाने के लिए आपसी सहमति से तय की गई तिथि 01.07.2015 थी। हालांकि, 20.03.2015 के दूसरे शुद्धिपत्र के अनुसार लिक्विडेटेड हर्जाने के साथ 8 सप्ताह के समय के विस्तार को कभी संशोधित नहीं किया गया। एलडी के साथ विस्तार स्पष्ट रूप से एनआईटी (अनुलग्नक-डी) के खंड 20 (ए) के तहत था जो खंड 20 (डी) के साथ पढ़े गए एलडी @ 0.5% प्रति सप्ताह की न्यूनतम दर प्रदान करता है जो खंड 20 (ए) के अनुसार एलडी के साथ डिलीवरी के समय के विस्तार की अनुमति देता है। समय विस्तार और एलडी लगाने का संदर्भ आपूर्ति आदेश दिनांक 28.03.2014 के खंड 5 और खंड 15 से भी लिया जा सकता है।

25. प्रतिवादियों द्वारा 08.03.2016 को एक और शुद्धिपत्र (तीसरा शुद्धिपत्र) जारी किया गया था जो केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के तहत फॉर्म सी की अनुपस्थिति में कर की पूरी दर के संबंध में था। तीसरे शुद्धिपत्र की विषय-वस्तु निम्नानुसार उद्धृत की गई है: -

> "विषय आपूर्ति आदेश में निम्नलिखित सीमा तक संशोधन किया जाता है: -
>
> 01) खंड संख्या-4 सीएसटी और सेवा कर, सीएसटी ओटीसी और एमआर मूल्य के उत्पाद लागत पर संबंधित वस्तुओं के लिए रियायती/घोषणा फॉर्म के बिना लागू के रूप में देय होगा। सेवा कर आपूर्ति आदेश के अनुसार लागू होगा।"
>
> विषय आपूर्ति आदेश के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।"

बिन्दु संख्या अ.- क्या प्रतिवादियों द्वारा आपूर्ति आदेश दिनांक 28.03.2014 (प्रदर्श-3) को समाप्ति आदेश दिनांक 13.01.2017 (प्रदर्श 17) के माध्यम से समाप्त करना न्यायोचित था?

26. दिनांक 13.01.2017 के पत्र द्वारा समाप्ति आदेश जारी किया गया, जिसमें निम्नलिखित उल्लेख किया गया:

> "उपर्युक्त आपूर्ति आदेश/अनुबंध को नियमों और शर्तों के उल्लंघन के कारण समाप्त किया जाता है"

27. यह तर्क दिया गया है कि आपूर्ति आदेश अस्पष्ट था और इसलिए सुरक्षा जमा और प्रदर्शन बैंक गारंटी की राशि के संबंध में अस्पष्टता थी।

28. आपूर्ति आदेश दिनांक 28.03.2014 रुपये 6,23,03,148.94 के मूल्य के लिए था, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमत और कर घटक भी शामिल थे। सुरक्षा जमा की राशि को मात्राबद्ध किया गया और आपूर्ति आदेश के मूल्य के 10% के रूप में 62,35,000/- रुपये के रूप में उल्लेख किया गया। प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) की राशि को भी मात्राबद्ध किया गया और आपूर्ति आदेश के मूल्य के 10% के रूप में 62,35,000/- रुपये के रूप में उल्लेख किया गया। आपूर्ति आदेश में 2% की रियायती दर से सीएसटी और सेवाओं पर सेवा कर का भी उल्लेख किया गया था।

29. जहां तक प्रथम शुद्धिपत्र संख्या 155 दिनांक 23.04.2014 (एक्सटेंशन 4) के संबंध में, यह स्पष्ट रूप से गणना में कुछ त्रुटि के कारण था। इस न्यायालय ने आपूर्ति आदेश दिनांक 28.03.2014 और उसके अनुलग्नक-ए का अध्ययन किया है और पाया है कि आपूर्ति आदेश दिनांक 28.03.2014 (प्रदर्श-3) में उल्लिखित आपूर्ति की कुल राशि, दिनांक 23.04.2014 के प्रथम शुद्धिपत्र (एक्सटेंशन 4) के पत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक-ए के समान है। इसका आपूर्ति आदेश दिनांक 28.03.2014 के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं है।

30. दूसरा शुद्धिपत्र दिनांक 20.03.2015, 20.03.2015 से 8 सप्ताह तक समय विस्तार के संबंध में था, लेकिन परिसमाप्त क्षतियों के साथ और प्राप्तकर्ता के नाम में कुछ परिवर्तन का भी उल्लेख किया गया था। दूसरे शुद्धिपत्र में सुरक्षा जमा की निर्दिष्ट राशि और निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) से संबंधित खंड सहित आपूर्ति आदेश के मूल मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

31. 08.03.2016 को जारी किया गया तीसरा शुद्धिपत्र इस आशय का था कि अब माल की आपूर्ति केंद्रीय बिक्री कर की पूरी दर पर की जानी थी, न कि कर की रियायती दर पर और आपूर्ति आदेश के केवल खंड 4 को संशोधित किया गया था, जिसमें 2% की दर से केंद्रीय बिक्री कर के भुगतान का उल्लेख था। ऐसा इस कारण हुआ कि कर की रियायती दर का लाभ उठाने के लिए आवश्यक फॉर्म सी जारी नहीं किया जा सका, हालांकि अपीलकर्ता ने बोली में रियायती दर पर कर उद्धृत किया था, जिसका उल्लेख आपूर्ति आदेश में भी किया गया था। तीसरे शुद्धिपत्र में इस तरह के संशोधन के पैसे के संदर्भ में सटीक वित्तीय प्रभाव की मात्रा निर्धारित नहीं की गई थी, न ही खंड 12 के तहत सुरक्षा जमा की निर्दिष्ट राशि (62,35,000/- रुपये) बढ़ाई गई थी और न ही खंड 10 के तहत प्रदर्शन बैंक गारंटी की निर्दिष्ट राशि (62,35,000/- रुपये) बढ़ाई गई थी। शुद्धिपत्र में आपूर्ति आदेश के केवल खंड 4 का उल्लेख किया गया था तथा खंड 10 (निष्पादन बैंक गारंटी) अथवा खंड 12 (सुरक्षा जमा) का उल्लेख नहीं किया गया था। केंद्रीय बिक्री कर की रियायती दर से केंद्रीय बिक्री कर की पूर्ण दर में संशोधन के कारण वित्तीय प्रभाव की सटीक राशि का उल्लेख तीसरे शुद्धिपत्र में नहीं किया गया है तथा आपूर्ति आदेश के खंड 10 और 12 को तीसरे शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित नहीं किया गया है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि आपूर्ति आदेश दिनांक 28.03.2014 में उल्लिखित सुरक्षा राशि तथा प्रदर्शन बैंक गारंटी की निर्दिष्ट राशि संशोधित हो गई है। वास्तव में, आपूर्ति आदेश में सुरक्षा जमा की आवश्यक राशि तथा प्रदर्शन बैंक गारंटी के लिए आवश्यक राशि के बिंदु पर बहुत स्पष्ट था तथा यह नहीं कहा जा सकता है कि आपूर्ति आदेश में कोई अस्पष्टता थी जो आपूर्ति आदेश के 15 दिनों के भीतर सुरक्षा जमा तथा परियोजना के चालू होने के 15 दिनों के भीतर प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रस्तुत न करने का बहाना हो सकता है। सुरक्षा जमा आपूर्ति आदेश की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जानी थी, ऐसा न करने पर आपूर्ति आदेश एनआईटी (अनुलग्नक-डी) के खंड 16 (बी) के अनुसार रद्द किया जा सकता था। सुरक्षा जमा प्रस्तुत करने का समय आपूर्ति आदेश जारी होने के बाद समाप्त हो गया और केंद्रीय बिक्री कर की पूरी दर के संबंध में संशोधन की आवश्यकता तब उत्पन्न हुई जब कर की रियायती दर का लाभ उठाने के लिए फॉर्म सी जारी नहीं किया जा सका। अन्यथा भी, रिकॉर्ड पर यह एक स्वीकृत तथ्य है कि 08.03.2016 के तीसरे शुद्धिपत्र के बाद भी सुरक्षा जमा कभी प्रस्तुत नहीं की गई थी। सुरक्षा जमा न प्रस्तुत करना एनआईटी और आपूर्ति आदेश की सामग्री शर्तों का उल्लंघन है और तदनुसार, नियमों और शर्तों के उल्लंघन के लिए अनुबंध को समाप्त करने के प्रतिवादियों की कार्रवाई को मनमाना या अवैध नहीं कहा जा सकता है।

32. अपीलकर्ता ने यह कहते हुए सुरक्षा राशि जमा न करने के कृत्य को उचित ठहराने का प्रयास किया है कि बयाना राशि जमा (ईएमडी) को सुरक्षा जमा के विरुद्ध समायोजित किया जाना था और सुरक्षा जमा को निष्पादन बैंक गारंटी में परिवर्तित किया जाना था और अपीलकर्ता ने 08.03.2016 के तीसरे शुद्धिपत्र के बाद 22.04.2016 को निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत की थी। यह तर्क भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बयाना राशि केवल 10 लाख रुपये थी और आपूर्ति आदेश के खंड 12 के अनुसार आवश्यक सुरक्षा जमा 62,35,000 रुपये थी। खंड 12 के अनुसार सुरक्षा जमा प्रस्तुत करने की आवश्यकता असंतोषजनक प्रदर्शन/अनुबंध संबंधी विफलता के लिए थी जिसे चूक पर जब्त किया जा सकता था और सुरक्षा राशि अनुबंध के संतोषजनक निष्पादन के बाद ही वापस की जानी थी। एक अन्य खंड 10 में निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का प्रावधान था जिसे अनुबंध की पूरी अवधि के लिए वैध रहना था। आपूर्ति आदेश में यह प्रावधान नहीं था कि सुरक्षा जमाराशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता को अनदेखा किया जा सकता है और प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रस्तुत करना पर्याप्त होगा। बल्कि एनआईटी के अनुलग्नक एए के खंड 3 में प्रावधान था कि सुरक्षा राशि को केवल प्रदर्शन बैंक

गारंटी में परिवर्तित किया जा सकता है। जाहिर है, सुरक्षा राशि को प्रदर्शन बैंक गारंटी में बदलने का ऐसा विकल्प विवेकाधीन था। इसके अलावा, किसी भी कल्पना से यह कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता के पास सुरक्षा जमाराशि प्रस्तुत न करने और केवल प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का विकल्प था और कहा कि सुरक्षा जमाराशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसे प्रदर्शन बैंक गारंटी में परिवर्तित किया जा सकता है। सुरक्षा जमाराशि को प्रदर्शन बैंक गारंटी में परिवर्तित करने, यदि कोई हो, अनुबंध के अनुसार सुरक्षा जमाराशि प्रस्तुत करने से पहले किया जाना चाहिए और ऐसा रूपांतरण अपीलकर्ता के लिए अधिकार का मामला नहीं था। आपूर्ति आदेश के अनुसार, सुरक्षा जमाराशि और प्रदर्शन बैंक गारंटी दोनों प्रस्तुत की जानी थी और अपीलकर्ता अनुबंध की पूरी अवधि के लिए दोनों को जारी रखने के लिए बाध्य था। आपूर्ति आदेश के अनुसार सुरक्षा जमा आपूर्ति आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर तथा निष्पादन बैंक गारंटी परियोजना के चालू होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जानी थी। आपूर्ति आदेश जारी होने की तिथि से कमीशनिंग के लिए निर्धारित समय 8 सप्ताह (56 दिन) था। अपीलकर्ता द्वारा निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत किए जाने के बाद, उसे एनआईटी/आपूर्ति आदेश की शर्तों के अनुसार सुरक्षा जमा प्रस्तुत करने के दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता।

33. पी.डब्लू.-1 ने अपने जिरह के पैरा 59 में कहा कि उसे आपूर्ति आदेश प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर आपूर्ति आदेश का 10% सुरक्षा राशि के रूप में जमा करना था, जो 28.03.2014 को प्राप्त हुआ था, लेकिन सुरक्षा राशि 15 दिनों के भीतर जमा नहीं की गई थी। पैरा 63 में उन्होंने कहा कि कमीशनिंग के बाद सुरक्षा राशि को परफॉरमेंस बैंक गारंटी में परिवर्तित किया जाना था। पी.डब्लू.2 ने अपने जिरह के पैरा 37 में यह भी कहा कि कुल राशि का 10% 15 दिनों के भीतर जमा किया जाना था। पैरा 38 में, उन्होंने आगे कहा कि अनुबंध मूल्य की मंजूरी मिलने के बाद, सुरक्षा राशि 15 दिनों के भीतर जमा की जानी थी। डी.डब्लू-1 ने कहा है कि आपूर्ति आदेश दिनांक 28.03.2014 के खंड 12 के अनुसार, अपीलकर्ता को आपूर्ति आदेश की तिथि से 15 दिनों के भीतर दिए गए अनुबंध के 10% मूल्य यानी 6,23,50,000/- रुपये के लिए डिमांड ड्राफ्ट या बैंक गारंटी के रूप में सुरक्षा जमा राशि जमा करनी थी, लेकिन अपीलकर्ता ने निर्धारित अवधि के भीतर और उसके बाद भी सुरक्षा जमा राशि जमा नहीं की और वादी ने सुरक्षा राशि जमा न करने के कारण अनुबंध का उल्लंघन किया। इस प्रकार, आपूर्ति आदेश की तिथि से 15 दिनों के भीतर आपूर्ति आदेश के खंड 12 के अनुसार सुरक्षा राशि जमा करने की आवश्यकता पक्षों के मौखिक साक्ष्य से भी विधिवत स्थापित हुई।

34. इसके अलावा, अपीलकर्ता द्वारा परियोजना के चालू होने के 15 दिनों के भीतर प्रदर्शन बैंक गारंटी भी प्रस्तुत नहीं की गई। यहां तक कि अगर अपीलकर्ता के सर्वोत्तम मामले को ध्यान में रखा जाए, यानी 08.03.2016 को तीसरे शुद्धिपत्र के जारी होने के 15 दिनों के भीतर, प्रदर्शन बैंक गारंटी 15 दिनों के बाद केवल 22.04.2016 को प्रस्तुत की गई। इस प्रकार, निर्धारित समय-सीमा पर विचार करते हुए और यहां तक कि अगर अपीलकर्ता के सर्वोत्तम मामले को भी ध्यान में रखा जाए, तो अपीलकर्ता ने प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के मामले में भी अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया और प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के संबंध में अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया। 35. हालांकि, आपूर्ति आदेश या तीसरे शुद्धिपत्र के जारी होने के 15 दिनों के भीतर सुरक्षा जमा राशि जमा न करने और अपीलकर्ता के सर्वोत्तम मामले के भीतर भी प्रदर्शन बैंक गारंटी जमा न करने, यानी तीसरे शुद्धिपत्र के जारी होने के 15 दिनों के भीतर, अपीलकर्ता ने अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया है और प्रतिवादियों ने आपूर्ति आदेश की शर्तों और नियमों के उल्लंघन के कारण अनुबंध को समाप्त करने के अधिकार का सही तरीके से उपयोग किया है। यह न्यायालय प्रतिवादियों के इस तर्क से पूरी तरह सहमत है कि

अपीलकर्ता ने आपूर्ति आदेश के खंड 10 और 12 दोनों का उल्लंघन किया है। अनुबंध की समाप्ति का यह कारण अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए बिलों के भुगतान के संबंध में मुद्दे को हल करने के लिए 16.09.2016 को प्रतिवादियों द्वारा गठित समिति की दिनांक 20.09.2016 की सिफारिशों से भी परिलक्षित होता है और बहुत विचार-विमर्श के बाद ही प्रतिवादियों द्वारा आपूर्ति आदेश की शर्तों के उल्लंघन के आधार पर आपूर्ति आदेश को समाप्त करने वाला पत्र दिनांक 13.01.2017 को जारी किया गया था।

36. जहां तक अपीलकर्ता के इस तर्क का सवाल है कि प्रतिवादियों ने ही बिलों का भुगतान न करके एनआईटी/आपूर्ति आदेश की शर्तों का पालन न करके समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों के आधार पर उपरोक्त तथ्य बताते हैं कि अपीलकर्ता ने सुरक्षा राशि जमा ही नहीं की, आपूर्ति आदेश के अनुसार सुरक्षा राशि जमा करना तो दूर की बात है। सुरक्षा राशि जमा करने की आवश्यकता आपूर्ति आदेश की एक अनिवार्य शर्त थी और जमा न करने पर आपूर्ति आदेश को ही समाप्त करने के गंभीर परिणाम की आवश्यकता थी। सुरक्षा जमा से संबंधित खंड का उल्लंघन बहुत पहले ही हो चुका था क्योंकि अपीलकर्ता बिल जारी करने से पहले ही उल्लंघन कर चुका था। अपीलकर्ता के मामले को तीसरे शुद्धिपत्र दिनांक 08.03.2016 के जारी होने की तिथि से देखते हुए, सुरक्षा जमा की अंतिम तिथि 25.03.2016 थी और जुलाई 2015 से मई 2016 तक 11 महीनों के लिए वन टाइम चार्ज (ओटीसी), शिफ्टिंग चार्ज और मासिक किराये सहित बिल बहुत बाद में जारी किए गए थे। अपीलकर्ता द्वारा सुरक्षा राशि जमा न किए जाने के कारण, प्रतिवादियों के पास अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए बिलों को जारी न करने का एक वास्तविक कारण था। तदनुसार, अपीलकर्ता का यह आरोप कि प्रतिवादियों ने बिलों का भुगतान न करके अनुबंध का उल्लंघन किया है, किसी भी तरह से निराधार है।

37. अपीलकर्ता द्वारा 16.09.2016 से सेवाओं को बंद करने को उचित ठहराने के लिए उठाया गया तर्क, जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादियों ने बिलों का भुगतान न करने के कारण अनुबंध का उल्लंघन किया है, को भी खारिज कर दिया जाता है क्योंकि यह अपीलकर्ता ही था जिसने सुरक्षा जमा न देकर पहले समय पर अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया था, जो बिलों का भुगतान न करने का कारण था और उसके बाद अनुबंध को समाप्त कर दिया गया जब अपीलकर्ता ने 16.09.2016 और 17.09.2016 की ईमेल के बावजूद सर्वर में आपूर्ति बहाल नहीं की, जिससे प्रतिवादियों की पूरी प्रणाली ठप्प हो गई।

38. जुलाई 2015 से मई 2016 तक 11 महीनों के लिए एकमुश्त शुल्क और मासिक किराये के शुल्क और पुराने कार्यालय से नए कार्यालय में वस्तुओं के स्थानांतरण के बिल प्रतिवादियों के वित्त विभाग को क्रमशः 01.09.2016, 08.08.2016 और 30.08.2016 को प्राप्त हुए थे। हालांकि, सीसीएल मुख्यालय में वित्त विभाग आपूर्ति आदेश के खंड 12 में निर्दिष्ट सुरक्षा जमा राशि जमा नहीं करने के कारण भुगतान जारी करने के लिए बिल को संसाधित करने में असमर्थ था। 20.03.2015 के संशोधन आदेश के संबंध में परिसमाप्त क्षति की वसूली के संबंध में 30.09.2016 को स्पष्टीकरण मांगा गया था। इस बीच, अपीलकर्ता ने 29.08.2016 से नोटिस देना शुरू कर दिया, मामले की जांच करने और वैध सिफारिशें प्रदान करने के लिए 16.09.2016 को एक समिति गठित की गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से, अपीलकर्ता ने जानबूझकर सर्वर बंद कर दिया और विवादों के समाधान की प्रतीक्षा नहीं की, हालांकि प्रतिवादियों ने आश्वासन दिया था कि वे अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत बिलों पर विचार कर रहे हैं।

39. 21.10.2016 को सेवाओं की बहाली के बारे में अपीलकर्ता द्वारा दावा किया गया और प्रतिवादियों द्वारा अस्वीकार किए गए तर्क पर विचार किया जाना है।

40. अपीलकर्ता का यह रुख कि 21.10.2016 से सेवाएं बहाल कर दी गई थीं, प्रतिवादियों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। अपीलकर्ता का उपरोक्त रुख उनके दिनांक 21.10.2016 के पत्र (प्रदर्श-16) के विपरीत है जिसमें अपीलकर्ता ने उल्लेख किया था कि वे सेवाओं को चलाने के लिए जनशक्ति को फिर से तैनात करने के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए अपने प्रबंधन को समझाने में कामयाब रहे हैं। पत्र में यह संकेत नहीं है कि 21.10.2016 से सेवाएं बहाल कर दी गई थीं। दिनांक 21.10.2016 के उक्त पत्र की विषय-वस्तु निम्नानुसार उद्धृत की गई है: -

> "प्रिय महोदय, कृपया इस पत्र को अपने सचिवालय के निर्देशों के अनुसार सीसीएल में निदेशक-वित्त और निदेशक-तकनीकी और अन्य हितधारकों के साथ हमारी बैठक के बाद देखें। चूंकि हमें सीसीएल में विभागों के सभी हितधारकों से सकारात्मक दृष्टिकोण और संकेत मिले हैं। हम सेवाओं को चलाने के लिए जनशक्ति को फिर से तैनात करने के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए अपने प्रबंधन को मनाने में कामयाब रहे हैं। हम इस महीने के भीतर हमारे भुगतान जारी करने में व्याप्त मुद्दों को हल करने के लिए सीसीएल के प्रबंधन के सहयोग की आशा करते हैं ताकि भुगतान में देरी के कारण वित्तीय कठिनाई की इस विकट स्थिति में हमें अपना समर्थन देना जारी रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि सिस्टम को चलाने और कार्य आदेश के एसएलए को बनाए रखने के लिए ओईएम, मैनपावर, स्पेयर, वारंटी आदि का भुगतान करने के लिए भुगतान की आवश्यकता होती है। जल्दी भुगतान में आपके समर्थन की आशा है और आपको हमारी सर्वोत्तम सेवाओं का आश्वासन देते हैं।"

41. 21.10.2016 के उक्त पत्र का प्रतिवादियों ने 01.11.2016 के पत्र के माध्यम से उत्तर दिया, जिसमें 21.10.2016 के पत्र में किए गए दावों का खंडन किया गया तथा कहा गया कि सेवाओं की बहाली तथा जनशक्ति की तैनाती अप्रासंगिक हो गई है तथा यह कहा गया कि अपीलकर्ता ने आपूर्ति आदेश की शर्तों का उल्लंघन किया है। प्रतिवादियों ने अपीलकर्ता को यह भी बताया कि उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था कर ली है। 01.11.2016 के उक्त पत्र की विषय-वस्तु इस प्रकार है: -

> "विषय: - आपके पत्र का उत्तर संदर्भ: ऑरेंज/सीसीएल/सर्वर/ 2016/329 दिनांक-21.10.2016
>
> महोदय,
>
> पत्र संदर्भ: ऑरेंज/सीसीएल/सर्वर/2016/329 दिनांक-21.10.2016 की विषय-वस्तु सही नहीं है, इसलिए इसे अस्वीकार किया जाता है। आपके द्वारा दावा किया जा रहा है कि आपके और सीसीएल के निदेशकों या सीसीएल के किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के बीच ऐसी कोई बैठक कभी नहीं हुई है। आपने 16.9.2016 को अचानक समझौते की शर्तों का उल्लंघन करते हुए अपनी सेवा वापस ले ली, जिससे सीसीएल को भारी नुकसान हुआ, इसलिए सीसीएल का प्रबंधन अनुबंध की शर्तों के अनुसार आपसे इसे वसूलने के लिए नुकसान का पता लगाने/आकलन करने में लगा है। इस बीच, आगे के नुकसान से बचने के लिए, सीसीएल ने पहले ही वैकल्पिक व्यवस्था कर ली है। इस प्रकार आपके जनशक्ति की पुनर्नियुक्ति और सेवाओं की बहाली का सवाल ही नहीं उठता। सीसीएल को आपके द्वारा गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार

> और अनुबंध के उल्लंघन के कारण भारी नुकसान हुआ है, जिसके लिए सीसीएल कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप सीसीएल को इस तरह का कोई भ्रामक पत्राचार न करें।"

42. पक्षों के बीच उपरोक्त बातों पर विचार करने तथा मामले के तथ्यों पर विचार करने के पश्चात, यह न्यायालय इस सुविचारित निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलकर्ता ने प्रतिवादियों को 16.09.2016 से सेवाएं बंद होने के पश्चात सेवाएं बहाल नहीं की, जबकि प्रतिवादियों ने 16.09.2016 तथा 17.09.2016 को ई-मेल के माध्यम से अनुरोध किया था, यद्यपि अपीलकर्ता अपने प्रबंधन को सेवाओं को चलाने के लिए जनशक्ति को पुनः तैनात करने के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए राजी करने में सफल रहे थे, जैसा कि 21.10.2016 के पत्र में कहा गया है।

43. अपीलकर्ता का यह तर्क कि 13.01.2017 के पत्र के माध्यम से आपूर्ति आदेश को समाप्त करना मनमाना तथा बिना किसी पूर्व सूचना के था तथा आपूर्ति आदेश के विपरीत था, पर भी विचार किया जाना आवश्यक है।

44. अपीलकर्ता का यह तर्क कि दिनांक 13.01.2017 के पत्र के माध्यम से आपूर्ति आदेश की समाप्ति मनमाना और बिना किसी पूर्व सूचना के तथा आपूर्ति आदेश के विपरीत थी, किसी भी तरह से निराधार है।

45. समाप्ति पत्र से पहले दिनांक 01.11.2016 का उपरोक्त पत्र आया था जिसमें उल्लेख किया गया था कि अपीलकर्ता ने समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया था जिससे प्रतिवादियों को भारी नुकसान हुआ था और इस तरह प्रतिवादियों का प्रबंधन अनुबंध की शर्तों के अनुसार इसकी वसूली के लिए नुकसान की खोज/आकलन कर रहा था। यह भी उल्लेख किया गया था कि प्रतिवादियों को गैर-जिम्मेदाराना आचरण और अनुबंध के उल्लंघन के कारण भारी नुकसान हुआ था और प्रतिवादियों ने कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा।

46. यह भी तर्क दिया गया है कि आपूर्ति आदेश की समाप्ति अनुबंध के विपरीत थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि आपूर्ति आदेश के खंड 11 (डी) के मद्देनजर प्रतिवादियों को आपूर्ति आदेश को समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि समाप्ति केवल तभी उपलब्ध थी जब टर्नकी परियोजना 7 महीनों में लगातार 80% से नीचे चली गई थी और इससे पहले कभी नहीं और आपूर्ति आदेश के खंड 18 (सी) में प्रावधान था कि आपूर्ति आदेश 60 महीने की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा। ऐसे तर्कों में कोई दम नहीं है। एनआईटी के खंड 20 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन के कारण आपूर्ति आदेश को समाप्त किया जा सकता है। एनआईटी के अनुलग्नक-एए के सुरक्षा जमा खंड में यह भी प्रावधान है कि आपूर्ति आदेश के 15 दिनों के भीतर सुरक्षा राशि जमा न करने की स्थिति में आपूर्ति आदेश रद्द कर दिया जाएगा। इसमें यह भी प्रावधान है कि असंतोषजनक प्रदर्शन और/या अनुबंध संबंधी विफलता के लिए सुरक्षा जमा जब्त कर लिया जाएगा।

47. उपर्युक्त निष्कर्षों के मद्देनजर, यह न्यायालय इस विचार पर है कि विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने सही ढंग से दर्ज किया है कि अनुबंध के अनुसार, सुरक्षा जमा और प्रदर्शन बैंक गारंटी आपूर्ति आदेश में अलग-अलग निर्धारित की गई थी और अपीलकर्ता को अनुबंध के तहत दोनों देने की आवश्यकता थी। यह परिकल्पना की गई थी कि अपीलकर्ता को आपूर्ति आदेश के 15 दिनों के भीतर सुरक्षा जमा प्रस्तुत करना था और एनआईटी और आपूर्ति आदेश से, यह स्पष्ट था कि आपूर्ति आदेश दिनांक 28.03.2014 में राशि का पता लगाया गया था। विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने अपीलकर्ता के इस तर्क को सही ढंग से खारिज कर दिया है कि आपूर्ति आदेश निश्चित नहीं था। विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने

यह भी सही ढंग से दर्ज किया है कि कर ढांचे में परिवर्तन बढ़ या घट सकता था और अपीलकर्ता तदनुसार कार्य कर सकता था। विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने यह भी सही ढंग से दर्ज किया है कि यह मानते हुए कि आपूर्ति आदेश किसी भी तारीख को प्राप्त हुआ था, अपीलकर्ता प्रतिवादियों के पास सुरक्षा जमा जमा करने में विफल रहा। विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने यह भी सही दर्ज किया है कि अपीलकर्ता ने या तो एनआईटी और आपूर्ति आदेश के शब्दों को लापरवाही से लिया था या फिर जानबूझकर अनुबंध के अनुरूप काम नहीं किया था। विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने यह भी सही दर्ज किया है कि प्रतिवादियों के पास अनुबंध को समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उपर्युक्त निष्कर्ष के संचयी प्रभाव के रूप में, बिंदु संख्या (ए) अपीलकर्ता के खिलाफ और प्रतिवादियों के पक्ष में तय किया जाता है।

48. बिन्दु संख्या (ख) (i) क्या अपीलकर्ता निम्नलिखित शीर्षक के तहत क्षतिपूर्ति का हकदार है: -

(i) अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादियों को 5 वर्षों की अवधि के लिए आपूर्ति किए गए उपकरणों के कारण हानि – 3,63,50,258 रुपये।

46 ए) इस शीर्ष के तहत दावा 16.09.2016 को सर्वर बंद करने के बाद आपूर्ति न किए जाने की अवधि के दौरान आपूर्ति किए गए उपकरणों के कारण हुए नुकसान से संबंधित है, जो अनुबंध की अवधि के अंत तक यानी 49 महीने के लिए है। यह न्यायालय पहले ही ऊपर मान चुका है कि प्रतिवादियों द्वारा 13.01.2017 को समाप्ति का आदेश सही तरीके से जारी किया गया था। चूंकि अपीलकर्ता ने आपूर्ति आदेश की शर्तों का उल्लंघन किया था, इसलिए उन्होंने अनुबंध की शेष अवधि के लिए पूरी राशि का दावा नहीं किया है और न ही वे दावा कर सकते थे। इस शीर्ष के तहत उनका दावा अपीलकर्ता द्वारा अनुबंध के एक हिस्से के रूप में आपूर्ति किए गए उपकरणों तक ही सीमित और संबंधित है, जिसकी कीमत की वसूली मासिक किराये के शुल्क के एक हिस्से के रूप में अनुबंध की पूरी अवधि में फैली हुई थी, जिसमें बदले में दो भाग उत्पाद लागत और सेवा लागत शामिल थे। अपीलकर्ता को पहले से ही विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा मासिक किराये के शुल्क की 11 किस्तों का हकदार माना गया है, जिसे चुनौती नहीं दी गई है। प्रतिवादियों ने नुकसान के कारण कोई प्रति-दावा नहीं किया है और वे केवल परिसमाप्त नुकसान के माध्यम से बैंक गारंटी के आह्वान द्वारा प्राप्त धन को रोके रखने से चिंतित हैं। 49 किस्तों के बराबर आपूर्ति किए गए उपकरणों के कारण नुकसान के शीर्षक के तहत दावे का न्यायनिर्णयन करने के लिए, आपूर्ति की शर्तों और नियमों की जांच करना आवश्यक है।

46 बी) मासिक किराये के प्रभारों के विभाजन के अनुसार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपकरण की लागत एकमुश्त शुल्क के अलावा मासिक किराये के प्रभार के एक हिस्से के रूप में पूरे अनुबंध अवधि में फैली हुई थी, जो अधिकतम तीन महीने के किराये के प्रभार हो सकते हैं। जहां तक उत्पाद लागत का संबंध है, खंड 8(i) में आपूर्ति आदेश की शर्तों और नियमों के अनुसार, यह विशेष रूप से प्रदान किया गया था कि किराये की अवधि की समाप्ति के बाद, परियोजना कार्यान्वयनकर्ता केवल एकमुश्त शुल्क के तहत कवर की गई वस्तुओं को छोड़कर सभी वस्तुओं को वापस लेने का हकदार होगा। खंड 8 (के) के अनुसार, यह प्रावधान किया गया था कि किराये की अवधि समाप्त होने के बाद, प्रतिवादियों के पास एक महीने का मासिक किराया देकर टर्नकी परियोजना के सभी घटकों का स्वामित्व लेने का विकल्प होगा।

46 सी) इस प्रकार, आपूर्ति की गई वस्तुओं/उपकरणों में संपत्ति का शीर्षक अपीलकर्ता के पास रहा क्योंकि माल का शीर्षक केवल किराये की अवधि समाप्त होने पर और अनुबंध अवधि के अंत में एक

महीने का किराया शुल्क देकर टर्न-की परियोजना के सभी घटकों का स्वामित्व लेने के विकल्प का प्रयोग करके प्रतिवादियों को दिया जा सकता था। इसका मतलब यह है कि अनुबंध अवधि के अंत तक, पूरी अवधि में फैले माल की कीमत अपीलकर्ता द्वारा पहले ही वसूल ली गई होगी। हालांकि, उसी समय, अपीलकर्ता किराये की अवधि समाप्त होने के बाद एकमुश्त शुल्क के तहत कवर किए गए सामानों को छोड़कर सभी वस्तुओं को वापस लेने का भी हकदार था। आपूर्ति आदेश के उपरोक्त खंडों और एनआईटी में उल्लिखित समान खंडों को देखते हुए, माल का शीर्षक पूरे समय अपीलकर्ता के पास रहा। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई है कि प्रतिवादियों ने कभी भी उत्पाद को बनाए रखने के लिए अपने विकल्प का प्रयोग किया था। अपीलकर्ता ने आपूर्ति आदेश खंड 8(i) के अनुसार उत्पाद वापस लेने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया और पूर्वोक्त खंड के अनुसार कोई कदम उठाने के बजाय अनुबंध की शेष अवधि के लिए मासिक किराये के भुगतान में शामिल उत्पाद लागत की शेष राशि की वसूली पर जोर दिया। अपीलकर्ता ने खंड 8(i) के अनुसार उत्पाद वापस लेने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है, इसलिए उसे उत्पाद लागत के कारण इस न्यायालय से किसी भी मुआवजे या क्षति का हकदार नहीं माना जा सकता है, खासकर तब जब प्रतिवादियों ने खंड 8(k) के अनुसार उत्पाद को अपने पास रखने का कोई विकल्प नहीं चुना है। यहां तक कि मुकदमे में भी प्रतिवादियों को अनुबंध के खंड 8(i) के अनुसार या अन्यथा उत्पाद वापस करने का निर्देश देने की कोई वैकल्पिक प्रार्थना नहीं की गई है। इस प्रकार, अपीलकर्ता उपकरणों की आपूर्ति के कारण मासिक शुल्क की शेष राशि के संबंध में किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं है।

49. बिन्दु संख्या (ख) (ii) क्या अपीलकर्ता निम्नलिखित शीर्षक के तहत क्षतिपूर्ति का हकदार है: -

> (ii) जुलाई 2016 से जनवरी 2017 तक अपीलकर्ता द्वारा प्रदान की गई रखरखाव सेवाओं के लिए भुगतान करने में प्रतिवादियों की ओर से विफलता के कारण हानि - रु. 19,95,928/-.

जहां तक जुलाई 2016 से जनवरी 2017 तक अपीलकर्ता द्वारा प्रदान की गई रखरखाव सेवा के कारण नुकसान के दावे का सवाल है, अपीलकर्ता ऐसे किसी भी दावे का हकदार नहीं है। अपीलकर्ता ने 16.09.2016 से सर्वर बंद कर दिया था और अनुबंध के अनुसार जुलाई 2015 से मई 2016 तक 11 महीने के बिल जारी किए थे, हालांकि अपीलकर्ता ने सुरक्षा जमा न देकर पहले ही अनुबंध का उल्लंघन कर दिया था। अपीलकर्ता का मामला यह है कि प्रतिवादियों ने जुलाई 2016 से जनवरी 2017 के महीने के लिए प्रदर्शन रसीद नहीं दी और इसलिए अपीलकर्ता चालान जारी करने में सक्षम नहीं था। जैसा कि ऊपर कहा गया है, आपूर्ति 21.10.2016 से बंद हो गई थी। रिकॉर्ड पर ऐसा कोई तथ्य नहीं है जो यह दर्शाता हो कि जुलाई 2016 से 21.10.2016 के दौरान प्रदर्शन संतोषजनक था और इस अवधि के लिए कभी भी बिल जारी किए गए थे, संतोषजनक प्रदर्शन रसीदों द्वारा समर्थित अनुबंध के अनुसार बिल तो बहुत कम हैं। इस शीर्षक के तहत दावे को पुष्ट करने के लिए बहस के दौरान उपलब्ध अभिलेखों से कोई भी तथ्य इस न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया है। उपर्युक्त के मद्देनजर, जुलाई 2016 से जनवरी 2017 तक अपीलकर्ता द्वारा प्रदान की गई रखरखाव सेवाओं के लिए भुगतान करने में विफलता के कारण नुकसान के शीर्षक के तहत मुआवजे/क्षतिपूर्ति का दावा खारिज किया जाता है। इसलिए, बिंदु संख्या (बी) (ii) अपीलकर्ता के खिलाफ और प्रतिवादियों के पक्ष में तय किया जाता है।

50. बिंदु संख्या (बी) (iii), बिंदु संख्या (सी) और बिंदु संख्या (डी) संबंधित हैं और इसलिए उन्हें एक साथ लिया जाता है।

बिंदु संख्या (बी) (iii) क्या अपीलकर्ता निम्नलिखित शीर्षक के तहत क्षतिपूर्ति का हकदार है: -

(iii) निष्पादन बैंक गारंटी के नकदीकरण के कारण हुई हानि – 64,78,756/- रु.

बिन्दु संख्या (ग) क्या प्रतिवादी, निष्पादन बैंक गारंटी के माध्यम से एकत्रित किसी भी राशि को, बिना कोई प्रति-दावा दायर किए, 'परिसमाप्त क्षति' के शीर्षक के अंतर्गत रखने के हकदार हैं?

बिन्दु संख्या (घ) क्या प्रतिवादियों द्वारा वास्तविक नुकसान या क्षति को साक्ष्य प्रस्तुत करके प्रमाणित किए बिना निष्पादन बैंक गारंटी का आह्वान करके, परिसमाप्त क्षति के रूप में किसी भी राशि को रखने की अनुमति दी जा सकती है?

51. परिसमाप्त क्षतिपूर्ति के हकदारी के मुद्दे पर, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है:

(i) "सर चुन्नीलाल बनाम मेहता एंड संस लिमिटेड बनाम सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड" 1962 (3) एससीआर 549

(ii) "फतेह चंद बनाम बालकिशन दास" 1964 (1) एससीआर 515

(iii) "मौला बक्स बनाम यूओआई" (1969) 2 एससीसी 554

(iv) "कैलाश नाथ एसोसिएट्स बनाम डीडीए" (2015) 4 एससीसी 136

(v) "देश राज बनाम रोहताश सिंह" 2023 (3) एससीसी 714

(vi) "एमटीएनएल बनाम फिनोलैक्स केबल्स लिमिटेड" 2017 एससीसी ऑनलाइन डेल 10497

49 (ए) "सर चुन्नीलाल" (सुप्रा) के मामले में पारित निर्णय में यह माना गया है कि जब पक्षकार परिसमाप्त क्षति के रूप में भुगतान की जाने वाली धनराशि का नाम देते हैं, तो उन्हें क्षति के रूप में अनिश्चित धनराशि का दावा करने के अधिकार को बाहर करना चाहिए। यह भी माना गया है कि परिसमाप्त क्षति का दावा करने का अधिकार अनुबंध अधिनियम की धारा 74 के तहत लागू करने योग्य था और जहां ऐसा अधिकार मौजूद पाया जाता है, वहां वास्तव में क्षति का पता लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। यह स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा सामान्य कानून के तहत क्षति का दावा करने के अधिकार को जीवित नहीं रखता है। स्पष्ट शर्तों में मुआवजे का प्रावधान करके, सामान्य कानून के तहत क्षति का दावा करने का अधिकार अनिवार्य रूप से बाहर रखा गया है।

49 (बी) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "फतेह चंद" (सुप्रा) के मामले में पारित निर्णय में, यह माना गया है कि दंड खंड को लागू न करने का कर्तव्य, लेकिन केवल उचित मुआवजा देने का कर्तव्य भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 74 द्वारा न्यायालय पर वैधानिक रूप से लगाया गया है। इस पृष्ठभूमि में, यह माना गया है कि इसलिए, सभी मामलों में, जहां अनुबंध की शर्तों के तहत जमा की गई राशि को जब्त करने के लिए दंड की प्रकृति का कोई प्रावधान है, जो स्पष्ट रूप से जब्ती का प्रावधान करता है, न्यायालय के पास केवल ऐसा मुआवजा देने का अधिकार है जिसे वह उचित समझता है, लेकिन यह जब्ती के लिए उत्तरदायी अनुबंध में निर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं होना चाहिए।

49 (सी) "मौला बक्स बनाम भारत संघ" (सुप्रा) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "फतेह चंद" (सुप्रा) के फैसले के मद्देनजर कहा कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 74 दो प्रकार के मामलों में नुकसान के माप से संबंधित है: (i) जहां अनुबंध में उल्लंघन के मामले में भुगतान की जाने वाली राशि का नाम है, और (ii) जहां अनुबंध में दंड के रूप में कोई अन्य शर्त शामिल है।

धारा 74 के अनुसार, दंड के रूप में किसी शर्त के उल्लंघन के मामले में नुकसान की माप, निर्धारित दंड से अधिक नहीं होने वाला उचित मुआवजा है। यह माना गया है कि दंड खंड को लागू न करने का कर्तव्य, बल्कि केवल उचित मुआवजा देने का कर्तव्य, धारा 74 के द्वारा न्यायालयों पर वैधानिक रूप

से लगाया गया है। यह भी माना गया है कि यह सच है कि अनुबंध के उल्लंघन के प्रत्येक मामले में, उल्लंघन से पीड़ित व्यक्ति को डिक्री का दावा करने से पहले उसे हुई वास्तविक हानि या क्षति को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है, और न्यायालय उल्लंघन के मामले में उचित मुआवजा देने के लिए सक्षम है, भले ही अनुबंध के उल्लंघन के परिणामस्वरूप कोई वास्तविक क्षति साबित न हुई हो। लेकिन अभिव्यक्ति "इससे वास्तविक क्षति या हानि हुई है या नहीं, यह साबित हो जाती है" का उद्देश्य न्यायालयों के समक्ष आने वाले विभिन्न प्रकार के अनुबंधों को कवर करना है। कुछ अनुबंधों के उल्लंघन के मामले में, न्यायालय के लिए उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले मुआवजे का आकलन करना असंभव हो सकता है, जबकि अन्य मामलों में स्थापित नियमों के अनुसार मुआवजे की गणना की जा सकती है। जहां न्यायालय मुआवजे का आकलन करने में असमर्थ है, वहां पक्षकारों द्वारा नामित राशि को यदि वास्तविक पूर्व-अनुमान माना जाए तो उसे उचित मुआवजे के उपाय के रूप में माना जा सकता है, लेकिन यदि नामित राशि दंड की प्रकृति की है तो नहीं। जहां धन के संदर्भ में नुकसान निर्धारित किया जा सकता है, मुआवजे का दावा करने वाले पक्ष को अपने द्वारा उठाए गए नुकसान को साबित करना होगा। उक्त मामले के तथ्यों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि भारत सरकार के लिए यह संभव था कि वह उन दरों को साबित करने के लिए सबूत पेश करे जिस पर उन्होंने आलू, मुर्गी, अंडे और मछली खरीदी थी जब वादी अनुबंधों की शर्तों के तहत निर्धारित मात्राओं को "नियमित रूप से और पूरी तरह से" वितरित करने में विफल रहा और अनुबंध समाप्त होने के बाद। वे उन दरों को साबित कर सकते थे जिन पर उन्हें खरीदा जाना था और अनुबंधित वस्तुओं की खरीद में उनके द्वारा उठाए गए अन्य आकस्मिक शुल्क भी। लेकिन ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया और माना गया कि संघ साक्ष्य द्वारा यह स्थापित करने में विफल रहा है कि उन्हें कोई नुकसान या हानि हुई थी जो वादी द्वारा किए गए चूक से उत्पन्न हुई थी।

49 (घ) (2003) 5 एससीसी 705 में रिपोर्ट किए गए "ओएनजीसी लिमिटेड बनाम सॉ पाइप्स लिमिटेड" में, कानून को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है और इसे निम्नानुसार माना गया है: -

> "64. मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए उपरोक्त तर्क से यह स्पष्ट है कि यह अनुबंध अधिनियम की धारा 73 और 74 तथा फतेह चंद मामले में निर्धारित अनुपात [फतेह चंद बनाम बालकिशन दास, (1964) 1 एससीआर 515: एआईआर 1963 एससी 1405], एससीआर पृष्ठ 526 पर विचार करने में विफल रहा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से माना गया है कि अनुबंध के उल्लंघन के मामले में मुआवजा देने के लिए न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अधिकतम निर्धारित सीमा को छोड़कर अयोग्य है; और मुआवजा उचित होना चाहिए। धारा 73 के तहत, जब कोई अनुबंध तोड़ा जाता है, तो ऐसे उल्लंघन से पीड़ित पक्ष उसे हुई किसी भी हानि के लिए मुआवजा प्राप्त करने का हकदार है, जिसके बारे में पक्षों को अनुबंध करते समय पता था कि अनुबंध के उल्लंघन से ऐसा होने की संभावना है। इस खंड को धारा 74 के साथ पढ़ा जाना है, जो अनुबंध में निर्धारित दंड से संबंधित है, अन्य बातों के साथ-साथ (वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक) यह प्रावधान करता है कि जब अनुबंध टूट गया है, यदि अनुबंध में एक राशि ऐसे उल्लंघन के मामले में भुगतान की जाने वाली राशि के रूप में नामित की गई है, तो उल्लंघन की शिकायत करने वाला पक्ष, चाहे वास्तविक नुकसान हुआ हो या नहीं साबित हो, अनुबंध तोड़ने वाले पक्ष से उचित मुआवजा प्राप्त करने का हकदार है, जो नामित राशि से अधिक नहीं होगा। धारा 74 जोर देती है कि अनुबंध के उल्लंघन के मामले में, उल्लंघन की शिकायत करने वाला पक्ष उचित मुआवजा प्राप्त करने का हकदार है, चाहे वास्तविक नुकसान ऐसे उल्लंघन से हुआ हो या नहीं साबित हो। इसलिए, उचित मुआवजे पर जोर दिया गया है। यदि अनुबंध में

नामित मुआवजा दंड के रूप में है, तो विचार अलग होगा और पक्ष केवल उठाए गए नुकसान के लिए उचित मुआवजे का हकदार होगा। लेकिन यदि ऐसे उल्लंघन के लिए अनुबंध में नामित मुआवजा नुकसान का वास्तविक पूर्व-अनुमान है, जिसके बारे में पक्षकारों को अनुबंध करते समय पता था कि अनुबंध के उल्लंघन से नुकसान होने की संभावना है, तो ऐसे नुकसान को साबित करने का कोई सवाल ही नहीं है या ऐसे पक्षकार को अपने द्वारा उठाए गए वास्तविक नुकसान को साबित करने के लिए सबूत पेश करने की आवश्यकता नहीं है।... 67. ... हमारे विचार में, ऐसे अनुबंध में, उल्लंघन के कारण पक्षों को होने वाले नुकसान या क्षति को सही-सही साबित करना मुश्किल होगा। ऐसी स्थिति में, यदि पक्षों ने स्पष्ट समझ के बाद ऐसे नुकसान का पूर्व-अनुमान लगाया है, तो इस निष्कर्ष पर पहुंचना पूरी तरह से अनुचित होगा कि जिस पक्षकार ने अनुबंध का उल्लंघन किया है, वह मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह अनुबंध अधिनियम की धारा 73 और 74 के विशिष्ट प्रावधानों के विरुद्ध होगा। रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं था कि पक्षों द्वारा विचारित मुआवजा किसी भी तरह से अनुचित था। यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि यह पक्षों द्वारा विधिवत सहमत नुकसान का एक वास्तविक पूर्व-अनुमान था। यह भी उल्लेख किया गया था कि निश्चित नुकसान दंड के रूप में नहीं है। अनुबंध में यह भी प्रावधान किया गया था कि इस तरह के नुकसान की भरपाई खरीदार द्वारा ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत सामग्री की लागत के भुगतान के बिलों से की जाएगी। दावेदार द्वारा यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया है कि निर्धारित शर्त दंड के रूप में थी या विचाराधीन मुआवजा किसी भी तरह से अनुचित था। न्यायाधिकरण के पास माल की आपूर्ति में देरी के कारण पूर्व-अनुमानित नुकसान निर्धारित करने वाले समझौते की स्पष्ट और स्पष्ट शर्तों पर भरोसा न करने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा, माल की डिलीवरी के लिए समय बढ़ाते समय, प्रतिवादी को सूचित किया गया था कि उसे निर्धारित हर्जाना देना होगा।

68. उपर्युक्त चर्चाओं से यह माना जा सकता है कि: (1) इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कि क्षतिपूर्ति का दावा करने वाला पक्ष इसका हकदार है या नहीं, अनुबंध की शर्तों पर विचार किया जाना आवश्यक है। (2) यदि शर्तें स्पष्ट और सुस्पष्ट हैं, जो अनुबंध के उल्लंघन के मामले में निश्चित क्षतिपूर्ति निर्धारित करती हैं, जब तक कि यह न माना जाए कि क्षतिपूर्ति/मुआवजे का ऐसा अनुमान अनुचित है या दंड के रूप में है, तो उल्लंघन करने वाले पक्ष को ऐसा मुआवजा देना आवश्यक है और यही अनुबंध अधिनियम की धारा 73 में प्रावधान किया गया है। (3) धारा 74 को धारा 73 के साथ पढ़ा जाना चाहिए और इसलिए, अनुबंध के उल्लंघन के प्रत्येक मामले में, उल्लंघन से पीड़ित व्यक्ति को डिक्री का दावा करने से पहले उसे हुई वास्तविक हानि या क्षति को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय उल्लंघन के मामले में उचित मुआवजा देने के लिए सक्षम है, भले ही अनुबंध के उल्लंघन के परिणामस्वरूप कोई वास्तविक क्षति साबित न हुई हो।

(4) कुछ अनुबंधों में, न्यायालय के लिए उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले मुआवजे का आकलन करना असंभव होगा और यदि परिकल्पित मुआवजा दंड या अनुचित के रूप में नहीं है, तो न्यायालय इसे उचित मुआवजे के उपाय के रूप में पक्षों द्वारा वास्तविक पूर्व-अनुमानित होने पर प्रदान कर सकता है।

49 (ई) "कैलाश नाथ एसोसिएट्स बनाम डीडीए" (सुप्रा) के मामले में, यह निम्नानुसार माना गया है: -

"40. उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने माना कि मौला बक्स मामला, तथ्यों के आधार पर, बयाना राशि से संबंधित मामला नहीं था। परिणामस्वरूप, मौला बक्स में यह

अवलोकन कि यदि उचित हो तो अनुबंध के तहत बयाना राशि को जब्त करना धारा 74 के अंतर्गत नहीं आता है, और धारा 74 के अंतर्गत तभी आएगा जब बयाना राशि को जुर्माना माना जाता है, उस मामले में निर्णय के लिए सीधे उठने वाले मामले पर नहीं है। फतेह चंद मामले में पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्धारित कानून यह है कि उल्लंघन के मामले में भुगतान की जाने वाली राशियों के नामकरण वाली सभी शर्तें धारा 74 द्वारा कवर की जाएंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि धारा 74 यह नहीं भूलना चाहिए कि जैसा कि ऊपर कहा गया है, फतेह चंद मामले में तथ्यों के आधार पर बयाना राशि जब्त कर ली गई थी। इसलिए, इन परिस्थितियों में यह कहना सही होगा कि चूंकि बयाना राशि अनुबंध के उल्लंघन के मामले में भुगतान की जाने वाली राशि है और अनुबंध में इस रूप में नामित है, इसलिए यह आवश्यक रूप से धारा 74 के अंतर्गत आती है। 43. उपरोक्त अधिकारियों के विचार-विमर्श के आधार पर, धारा 74 के तहत अनुबंध के उल्लंघन के लिए मुआवजे पर कानून इस प्रकार कहा जा सकता है: 43.1. जहां किसी राशि को अनुबंध में नुकसान के रूप में देय एक परिसमाप्त राशि के रूप में नामित किया गया है, उल्लंघन की शिकायत करने वाला पक्ष उचित मुआवजे के रूप में ऐसी परिसमाप्त राशि तभी प्राप्त कर सकता है, जब यह दोनों पक्षों द्वारा तय किए गए नुकसान का वास्तविक पूर्व-अनुमान हो और अदालत द्वारा ऐसा पाया गया हो। अन्य मामलों में, जहां किसी राशि को अनुबंध में नुकसान के रूप में देय एक परिसमाप्त राशि के रूप में नामित किया गया है, केवल उचित मुआवजा ही दिया जा सकता है जो इस प्रकार बताई गई राशि से अधिक न हो। इसी प्रकार, ऐसे मामलों में जहां तय की गई राशि दंड की प्रकृति की है, केवल उचित मुआवजा ही दिया जा सकता है जो इस प्रकार बताए गए जुर्माने से अधिक न हो। दोनों ही मामलों में, निर्धारित राशि या जुर्माना वह ऊपरी सीमा है जिसके आगे न्यायालय उचित मुआवजा नहीं दे सकता। 43.2. उचित मुआवजा सुविदित सिद्धांतों के आधार पर तय किया जाएगा जो अनुबंध के कानून पर लागू होते हैं, जो अनुबंध अधिनियम की धारा 73 में अन्य बातों के साथ-साथ पाए जाते हैं। 43.3. चूंकि धारा 74 अनुबंध के उल्लंघन से हुई क्षति या हानि के लिए उचित मुआवजा प्रदान करती है, इसलिए हुई क्षति या हानि धारा की प्रयोज्यता के लिए अनिवार्य शर्त है। 43.4. यह धारा लागू होती है चाहे कोई व्यक्ति वाद में वादी हो या प्रतिवादी। 43.5. कही गई राशि पहले ही चुकाई जा चुकी हो सकती है या भविष्य में देय हो सकती है। 43.6. अभिव्यक्ति "चाहे वास्तविक क्षति या हानि साबित हो या न हो, इससे हुई है या नहीं" का अर्थ है कि जहां वास्तविक क्षति या हानि साबित करना संभव है, ऐसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यह केवल उन मामलों में ही संभव है, जहां नुकसान या हानि साबित करना मुश्किल या असंभव है, कि अनुबंध में नामित परिसमाप्त राशि, यदि नुकसान या हानि का वास्तविक पूर्व-अनुमान है, तो प्रदान की जा सकती है। 43.7. धारा 74 अनुबंध के तहत बयाना राशि की जब्ती के मामलों पर लागू होगी। हालांकि, जहां समझौता होने से पहले सार्वजनिक नीलामी की शर्तों और नियमों के तहत जब्ती होती है, वहां धारा 74 लागू नहीं होगी।"

49 (एफ) "देश राज बनाम रोहताश सिंह" (सुप्रा) के मामले में, यह निम्नानुसार माना गया है: -

"40. संक्षेप में, अपीलकर्ता यह तर्क देते हैं कि राशि का जब्तीकरण उचित है जब यह हो: (ए) बयाना राशि के रूप में स्पष्ट रूप से निर्धारित; (बी) बिक्री विचार का हिस्सा है; और (सी) "अनुबंध के उचित प्रदर्शन के लिए गारंटी" की प्रकृति का होना चाहिए; और (डी) पार्टियों के बीच बाध्यकारी समझौता अनुबंध के उल्लंघन की स्थिति में इसकी जब्ती प्रदान करता है।

41. हमारे विचार में, अनुबंध अधिनियम की धारा 74 मुख्य रूप से मुआवजे या नुकसान के अनुदान से संबंधित है जब एक अनुबंध टूट गया है और अनुबंध के उल्लंघन की स्थिति में देय ऐसे मुआवजे या नुकसान की राशि अनुबंध में ही निर्धारित की गई है। दूसरे शब्दों में, सभी पूर्व-अनुमानित राशियां जो किसी अनुबंध के तहत किसी पक्ष द्वारा उल्लंघन के कारण भुगतान किए जाने के लिए निर्दिष्ट हैं, अनुबंध अधिनियम की धारा 74 द्वारा कवर की जाती हैं जैसा कि इस न्यायालय ने कैलाश नाथ एसोसिएट्स बनाम डीडीए में नोट किया है। फतेह चंद में, संविधान पीठ ने फैसला दिया कि धारा 74 "वास्तविक हानि या क्षति" के सबूत की आवश्यकता नहीं रखती है और जहां पूर्व-अनुमानित राशि प्रकृति में "दंडात्मक" है, वहां अदालतों द्वारा हस्तक्षेप को आकर्षित करती है।

42. हम इस मोड़ पर ओएनजीसी लिमिटेड बनाम सॉ पाइप्स लिमिटेड में इस न्यायालय द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों पर भी ध्यान दे सकते हैं: (ओएनजीसी मामला, एससीसी पीपी. 740-41, पैरा 64)

"64. ... धारा 74 में जोर दिया गया है कि अनुबंध के उल्लंघन के मामले में, उल्लंघन की शिकायत करने वाला पक्ष उचित मुआवजा प्राप्त करने का हकदार है, चाहे वास्तविक नुकसान इस तरह के उल्लंघन के कारण हुआ हो या नहीं। लेकिन अगर अनुबंध में इस तरह के उल्लंघन के लिए नामित मुआवजा नुकसान का वास्तविक पूर्व-अनुमान है, जिसके बारे में पक्षों को अनुबंध करते समय पता था कि अनुबंध के उल्लंघन से नुकसान होने की संभावना है, तो ऐसे नुकसान को साबित करने का कोई सवाल ही नहीं है या ऐसे पक्ष को यह साबित करने के लिए सबूत पेश करने की आवश्यकता नहीं है कि उसे वास्तव में नुकसान हुआ है। यह साबित करने के लिए सबूत पेश करने का भार दूसरे पक्ष पर है कि ऐसे उल्लंघन से कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है।

(जोर दिया गया)

43. इसलिए, ऐसे परिदृश्य में जहां अनुबंध की शर्तें स्पष्ट रूप से यह तथ्य प्रदान करती हैं कि पूर्व-अनुमानित राशि "बयाना राशि" की प्रकृति की है, यह साबित करने का दायित्व कि यह "दंडात्मक" प्रकृति की थी, पूरी तरह से उस पक्ष पर है जो इसे वापस करने की मांग कर रहा है। इस तरह के बोझ को पूरा करने में विफलता अनुबंध में निर्धारित किसी भी पूर्व-अनुमानित राशि को "नुकसान का वास्तविक पूर्व-अनुमान" मान लेगी।

49 (जी) निर्णय "एमटीएनएल बनाम फिनोलैक्स केबल्स लिमिटेड" 2017 एससीसी ऑनलाइन डेल 10497 में मामला मध्यस्थता कार्यवाही से उत्पन्न हुआ था, जहां विद्वान मध्यस्थ ने इस मुद्दे पर विचार किया था कि क्या बैंक गारंटी का नकदीकरण और परिसमाप्त क्षति की राशि का विनियोजन उचित था? उक्त निर्णय में पैराग्राफ संख्या 34 से 36 में परिसमाप्त क्षति के मामले में कानून के सिद्धांत को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है, जो इस प्रकार हैं:-

> "34. अनुबंध अधिनियम की धारा 74 के तहत यह सामान्य बात है कि परिसमाप्त क्षति का दावा करने के लिए, भले ही परिसमाप्त क्षति निर्दिष्ट की गई हो, ऐसा दावा करने वाला पक्ष केवल "उचित मुआवजे" का हकदार है, जो निर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं हो। यहां तक कि एक अनुबंध में, जहां वास्तविक क्षति या हानि को साबित करना मुश्किल है, "उचित मुआवजे" पर पहुंचने के लिए इसके सबूत की आवश्यकता नहीं है। यह केवल उन मामलों में है जहां क्षति या हानि साबित करना असंभव था, अनुबंध में

परिसमाप्त क्षति के रूप में नामित राशि, यदि यह क्षति या हानि का वास्तविक पूर्व-अनुमान है, तो इस तरह से प्रदान की जा सकती है।

35. इसलिए, एकल न्यायाधीश ने माना है कि यह मानते हुए भी कि खंड 7.4 क्षति का वास्तविक पूर्व-अनुमान दर्शाता है, एमटीएनएल को यह दिखाने से राहत नहीं मिली कि उसे कुछ नुकसान हुआ है। कानूनी और तथ्यात्मक रूप से, यह सही स्थिति है।

36. उपर्युक्त सुस्थापित सिद्धांत के अनुप्रयोग पर, इसमें कोई संदेह नहीं रह सकता है कि एमटीएनएल के लिए मध्यस्थ के समक्ष यह साबित करना आवश्यक था कि उसे कुछ हानि हुई है, भले ही उसे वास्तविक हानि साबित करने की आवश्यकता न हो।

उक्त मामले में, यह देखा गया कि विद्वान मध्यस्थ ने पाया कि एमटीएनएल को कोई नुकसान नहीं हुआ था और फिर भी उसने लिक्विडेटेड डैमेज के कारण हुए नुकसान के लिए कुल अनुबंध का 10% दिया, हालांकि रिकॉर्ड पर कोई भी सामग्री नहीं रखी गई थी जिससे पता चले कि एमटीएनएल को नुकसान हुआ था। ऐसी पृष्ठभूमि में, माननीय एकल न्यायाधीश के दृष्टिकोण को बरकरार रखा गया, जिन्होंने पाया कि मध्यस्थ पुरस्कार बिना किसी सबूत के आधारित था और यह अच्छी तरह से स्थापित कानूनी स्थिति के विपरीत था।

52. उपर्युक्त निर्णयों के आलोक में, बिन्दु संख्या (सी) पर निम्नानुसार विचार किया जाता है: -

50 क) वर्तमान मामले में, प्रतिवादियों ने निष्पादन बैंक गारंटी का आह्वान किया है और इस प्रकार वसूली गई राशि को आपूर्ति आदेश का 10% यह कहते हुए अपने पास रख लिया है कि यह राशि अनुबंध की शर्तों के अनुसार परिसमाप्त क्षति के कारण थी, जिसे 20.03.2015 के दूसरे शुद्धिपत्र के तहत परिसमाप्त क्षति के साथ समय विस्तार प्रदान करने के साथ पढ़ा गया है।

50 बी) जहां तक इस तर्क का सवाल है कि प्रति-दावा लिक्विडेटेड हर्जाने को बरकरार रखने का दावा करने के लिए दायर किया जाना आवश्यक था, यह किसी भी तरह से निराधार है। अपीलकर्ता ने पहले ही प्रदर्शन बैंक गारंटी के माध्यम से प्राप्त राशि की वापसी का दावा किया था और प्रतिवादियों ने इसे लिक्विडेटेड हर्जाने के रूप में दावा किया था। यह मुद्दा कि क्या प्रतिवादी प्रदर्शन बैंक गारंटी का आह्वान करके प्राप्त राशि का दावा कर सकते हैं और उसे बरकरार रख सकते हैं, सीधे तौर पर मुद्दा था और वापसी का पूरा दावा तभी सफल हो सकता है जब यह पाया जाए कि प्रतिवादी अनुबंध की शर्तों के आधार पर और ऊपर चर्चा किए गए कानूनी सिद्धांतों के प्रकाश में लिक्विडेटेड हर्जाने की किसी भी राशि के हकदार नहीं थे। इसके अलावा, वर्तमान मामले में, लिक्विडेटेड हर्जाना लगाए जाने पर समय का विस्तार दिया गया था।

५० ग) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "कैलाश नाथ एसोसिएट्स" (सुप्रा) में पारित निर्णय में, यह भी माना गया है कि धारा ७४ अनुबंध के उल्लंघन पर देयता के संबंध में कानून की घोषणा करती है जहां मुआवजा पक्षों के बीच समझौते से पूर्व निर्धारित होता है, या जहां दंड के रूप में कोई शर्त होती है लेकिन अधिनियम का आवेदन उन मामलों तक सीमित नहीं है जहां पीड़ित पक्ष वादी के रूप में राहत का दावा करता है; धारा किसी भी पक्ष को विशेष लाभ प्रदान नहीं करती है; यह केवल कानून की घोषणा करती है कि अनुबंध में किसी भी शर्त के बावजूद नुकसान को पूर्व निर्धारित करना या दंड के रूप में किसी संपत्ति को जब्त करना, न्यायालय पीड़ित पक्ष को केवल उचित मुआवजा देगा जो नामित राशि या निर्धारित दंड से अधिक नहीं होगा; न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसी मुकदमे में वादकारी या प्रतिवादी होने में चूककर्ता पक्ष की आकस्मिक परिस्थिति से निर्धारित नहीं होता है; 'अनुबंध तोड़ने वाले पक्ष से प्राप्त करना'

अभिव्यक्ति का उपयोग यह नहीं दर्शाता है कि अनुबंध के उल्लंघन की शिकायत करने वाले पक्ष के दावे से निपटने में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, जिसका उपयोग चूककर्ता पक्ष द्वारा भुगतान की गई राशि को समायोजित करने के लिए किया जा सकता है।

50 घ) इस प्रकार, केवल इसलिए कि प्रतिवादी होने के नाते प्रतिवादियों ने कोई प्रति दावा दायर नहीं किया था, यह निश्चित रूप से न्यायालय को यह जांच करने से नहीं रोकेगा कि क्या प्रतिवादी परिसमाप्त क्षति के माध्यम से राशि को बनाए रखने के हकदार थे। जब तक ऐसा निष्कर्ष दर्ज नहीं किया जाता है, तब तक वादी, जो अपीलकर्ता है, को निष्पादन बैंक गारंटी का आह्वान करके प्राप्त राशि की वापसी के लिए डिक्री नहीं दी जा सकती है। ऐसा निर्णय अनिवार्य रूप से अनुबंध की शर्तों और इस न्यायालय के समक्ष उपलब्ध सामग्रियों और इस निष्कर्ष पर निर्भर करेगा कि क्या प्रतिवादी परिसमाप्त क्षति के हकदार हैं। निष्पादन बैंक गारंटी का आह्वान करके प्राप्त राशि की वापसी का निर्णय करते समय प्रतिवादियों का परिसमाप्त क्षति का हकदार होना सीधे तौर पर मुद्दा है। तदनुसार, परिसमाप्त क्षति के लिए प्रति-दावा दाखिल न करना निष्पादन बैंक गारंटी का आह्वान करके प्राप्त राशि को बनाए रखने के प्रतिवादियों के दावे के लिए घातक नहीं है। **तदनुसार बिंदु संख्या (सी) अपीलकर्ता के खिलाफ और प्रतिवादियों के पक्ष में तय किया जाता है।**

53. यह हमें बिंदु संख्या (बी) (iii) और बिंदु संख्या (डी) के संबंध में अगले बिंदु पर ले जाता है।

बिंदु संख्या (बी) (iii)

क्या अपीलकर्ता निम्नलिखित शीर्षक के तहत हर्जाने का हकदार है: -

(iii) प्रदर्शन बैंक गारंटी के नकदीकरण के कारण हुई हानि - 64,78,756/- रुपये। और

बिंदु संख्या (डी) क्या साक्ष्य प्रस्तुत करके प्रतिवादियों द्वारा झेली गई वास्तविक हानि या क्षति को प्रमाणित किए बिना प्रदर्शन बैंक गारंटी का आह्वान करके किसी भी राशि को परिसमाप्त क्षति के रूप में बनाए रखने की अनुमति दी जानी चाहिए?

51 ए) इन मुद्दों को तय करने के लिए आवश्यक तथ्य ये हैं कि टर्नकी परियोजना का कमीशन आपूर्ति आदेश की धारा 5(i) के अनुसार आपूर्ति आदेश की तारीख से 8 सप्ताह के भीतर किया जाना था; आपूर्ति आदेश के धारा 7.4 में यह प्रावधान था कि समय अनुबंध का सार था; आपूर्ति आदेश के धारा 13 के साथ धारा 5(ii) में परियोजना के चालू होने में देरी के कारण निश्चित हर्जाना लगाने के माध्यम से दंड का प्रावधान था; परियोजना निर्धारित समय के भीतर चालू नहीं की गई और अंततः अनुबंध की शर्तों के अनुसार निश्चित हर्जाना लगाने के साथ विस्तार पत्र जारी करने से 8 सप्ताह की अवधि के लिए 20.03.2015 के दूसरे शुद्धिपत्र (प्रदर्श-5) के जरिए समय बढ़ा दिया गया था; अपीलकर्ता के सर्वोत्तम मामले के अनुसार परियोजना 20.05.2015 को चालू हुई थी लेकिन यह भी 20.03.2015 से 8 सप्ताह से अधिक थी; बातचीत के बाद, मासिक बिल जारी करने की तारीख 01.07.2015 मान ली गई और इसकी सूचना अपीलकर्ता को दिनांक 30.11.2015 के पत्र द्वारा दी गई; दिनांक 20.03.2015 के पत्र जारी होने के काफी समय बाद, अपीलकर्ता ने दिनांक 17.06.2015 के पत्र द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति लगाने पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था, लेकिन प्रतिवादियों द्वारा उनके अनुरोध को कभी स्वीकार नहीं किया गया; दिनांक 08.03.2016 के पत्र द्वारा तीसरा शुद्धिपत्र जारी किया गया और दिनांक 22.04.2016 के पत्र द्वारा निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई, हालांकि 15 दिनों की निर्धारित अवधि से परे।

51 बी) इस प्रकार, परियोजना के चालू होने में कुल देरी आपूर्ति आदेश दिनांक 28.03.2014 की तारीख से 10 महीने से अधिक थी और समय का विस्तार निश्चित नुकसान के साथ दिया गया था। अनुबंध के अनुसार, परियोजना के चालू होने में देरी पर निश्चित नुकसान परियोजना लागत के अधिकतम 10% के अधीन प्रति सप्ताह 0.5% या उसके एक हिस्से की दर से लगाया जा सकता था; प्रतिवादियों ने प्रदर्शन बैंक गारंटी का आह्वान किया था जो परियोजना लागत के लगभग 10% के लिए थी और राशि को अपने पास रख लिया और अपीलकर्ता उक्त राशि की वापसी का दावा कर रहा है। इस न्यायालय का विचार है कि एक बार निश्चित नुकसान के साथ समय का विस्तार दिए जाने के बाद, अपीलकर्ता के लिए अनुबंध के अनुसार निश्चित नुकसान के साथ समय के विस्तार के पत्र के साथ दिनांक 20.03.2015 के दूसरे शुद्धिपत्र के अनुसार निश्चित नुकसान के साथ लगाने और वसूलने से बचने की कोई गुंजाइश नहीं है।

51 c) अपीलकर्ता को आपत्ति है कि प्रतिवादियों ने वास्तविक नुकसान साबित नहीं किया है, इसलिए वे वास्तविक नुकसान के सबूत के बिना लिक्विडेटेड डैमेज के तहत कोई राशि नहीं रख सकते। जैसा कि "कैलाश नाथ एसोसिएट्स बनाम डीडीए" (सुप्रा) के मामले में पैराग्राफ 43.6 में कहा गया है कि "वास्तविक नुकसान या हानि साबित हुई है या नहीं" का अर्थ है कि जहां वास्तविक नुकसान या हानि साबित करना संभव है, वहां ऐसे सबूत की आवश्यकता नहीं है। केवल उन मामलों में जहां नुकसान या हानि साबित करना मुश्किल या असंभव है, अनुबंध में नामित लिक्विडेटेड राशि, यदि नुकसान या हानि का वास्तविक पूर्व-अनुमान है, तो प्रदान की जा सकती है। अपीलकर्ता और प्रतिवादियों के गवाहों की जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि जब अपीलकर्ता ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थीं, तो प्रतिवादियों का काम-काज ठप हो गया था (पी.डब्लू. 2 की जिरह का पैराग्राफ नंबर 47)। डी.डब्लू. 1 ने यह भी कहा था कि सिस्टम के बंद होने से प्रतिवादियों में महत्वपूर्ण संचालन बंद हो गए थे। उन्होंने यह भी कहा है कि सर्वर बंद होने के कारण प्रतिवादियों में लागू कोल (नेट) सहित आईटी से संबंधित गतिविधियाँ रुक गईं। इस प्रकार, यह रिकॉर्ड पर आया है कि कोल (नेट) सहित आईटी से संबंधित सेवाएँ जो अनुबंध में शामिल हैं, प्रतिवादियों द्वारा आवश्यक आवश्यक सेवाएँ थीं। यह रिकॉर्ड पर आया है कि अनुबंध के अनुसार सेवाएँ सर्वर के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं की तरह थीं। यह अपीलकर्ता का मामला नहीं है कि प्रतिवादियों को परियोजना के चालू होने में देरी के कारण कोई नुकसान या क्षति नहीं हुई। सर्वर के माध्यम से कोल (नेट) सहित आईटी से संबंधित गतिविधियाँ प्रदान करने में देरी के कारण वास्तविक नुकसान को पैसे के संदर्भ में निर्धारित करना लगभग असंभव है। सर्वर के माध्यम से कोल (नेट) सहित आईटी से संबंधित गतिविधियों के मामले में, हर पल मायने रखता है और ऐसी सेवाएँ प्रदान करने में देरी के कारण हुई वास्तविक क्षति को साबित करना लगभग असंभव है। उपरोक्त परिस्थितियों में, कमीशनिंग में देरी के कारण नुकसान की मात्रा को पूर्व-अनुमान के रूप में परिसमाप्त क्षति के माध्यम से तय किया गया था, जिसके लिए प्रतिवादियों की ओर से किसी और सबूत की आवश्यकता नहीं थी।

51 डी) अपीलकर्ता का आगे का तर्क यह है कि प्रतिवादियों ने निश्चित हर्जाना लगाने से मना कर दिया था, हालांकि 20.03.2015 को निश्चित हर्जाने के साथ 8 सप्ताह के लिए 20.03.2015 को विस्तार दिया गया था। शिकायत में, अपीलकर्ता ने 20.03.2015 के दूसरे शुद्धिपत्र के माध्यम से समय का विस्तार देते समय प्रतिवादियों द्वारा निश्चित हर्जाना लगाने के बारे में एक

शब्द भी नहीं कहा है और अपीलकर्ता ने केवल यह बताने के लिए दूसरे शुद्धिपत्र का हवाला दिया है कि यह प्राप्तकर्ता का नाम बदलने के लिए जारी किया गया था। हालांकि, इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता ने यह रुख अपनाया है कि हालांकि प्रतिवादियों के 20.03.2015 के पत्र में निश्चित हर्जाने का उल्लेख किया गया था, लेकिन इसे कभी भी अंतिम रूप से नहीं लगाया गया और उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि प्रतिवादी खुद अच्छी तरह से जानते थे कि उनके द्वारा कभी भी कोई हर्जाना साबित नहीं किया जा सकता है।

51 ई) 30.11.2015 के उपर्युक्त पत्र द्वारा परियोजना के चालू होने की तिथि 01.07.2015 निर्धारित की गई थी, लेकिन 20.03.2015 के दूसरे शुद्धिपत्र में 20.03.2015 से आठ सप्ताह का समय विस्तार देते हुए परिसमाप्त क्षति लगाई गई थी, जिसे प्रतिवादियों द्वारा कभी संशोधित या वापस नहीं लिया गया और वास्तव में, अपीलकर्ता केवल दूसरे शुद्धिपत्र द्वारा समय विस्तार दिए जाने के तहत ही परियोजना को पूरा कर सका, हालांकि इसमें कुछ दिनों की और देरी हुई। आपूर्ति आदेश के खंड 7.4 में निर्दिष्ट किया गया है कि समय अनुबंध का सार था। अपीलकर्ता द्वारा आठ सप्ताह के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति के साथ समय का विस्तार विधिवत स्वीकार कर लिया गया था और पक्षों ने उक्त दूसरे शुद्धिपत्र पर कार्रवाई की थी, परियोजना को चालू किया गया था और निश्चित रूप से प्रतिवादियों द्वारा दिनांक 30.11.2015 के पत्र के माध्यम से आपसी सहमति से 01.07.2015 से डिलीवरी को स्वीकार कर लिया गया था। 30.11.2015 के उक्त पत्र का परियोजना को चालू करने में समय का विस्तार देते समय देरी के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति लगाने वाले दूसरे शुद्धिपत्र पर कोई असर नहीं पड़ता है। उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, यह न्यायालय इस विचार पर है कि अपीलकर्ता का तर्क कि समय बढ़ाते समय दूसरे शुद्धिपत्र के माध्यम से निर्धारित क्षतिपूर्ति लगाने पर कार्रवाई नहीं की गई थी, किसी भी तरह से योग्यता से रहित है।

51 एफ) परिसमाप्त क्षतियों से संबंधित खंडों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि परिसमाप्त क्षतियों को प्रति सप्ताह या उसके भाग के लिए संपूर्ण परियोजना लागत का 0.5% लगाया जा सकता है, जैसा कि डिलीवरी, स्थापना, कमीशनिंग और एकीकरण के पहले (i) खंड में कहा गया है, जो संपूर्ण परियोजना लागत के 10% की अधिकतम सीमा के अधीन है। यह परियोजना के कमीशन में देरी के लिए दंड के रूप में था। एनआईटी (अनुलग्नक डी) के आगे के खंड 19 और 20 में यह प्रावधान है कि आपूर्ति आदेश में उल्लिखित किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में, कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों को सफल निविदाकर्ता से सहमत परिसमाप्त क्षति के रूप में वसूलने का अधिकार होना चाहिए, जो कि किसी भी स्टोर की कीमत का 0.5% (आधा प्रतिशत) से कम नहीं है, जिसे सफल निविदाकर्ता प्रत्येक सप्ताह या सप्ताह के हिस्से के लिए पूर्वोक्त रूप से आपूर्ति नहीं कर पाया है, जिसके दौरान ऐसे स्टोर की डिलीवरी बकाया हो सकती है, जो 10% तक सीमित हो सकती है। क्रेता के पास यह भी विकल्प है कि वह अपनी इच्छानुसार दंड सहित या उसके बिना डिलीवरी की अवधि बढ़ा सकता है, यदि दंड लगाया जाता है तो वह ऊपर उल्लिखित सहमत परिसमाप्त क्षति से अधिक नहीं होगा।

51 जी) परिसमाप्त क्षति के लिए निर्धारित दर प्रत्येक सप्ताह की देरी या उसके भाग के लिए कीमत का न्यूनतम 0.5% थी, जो परियोजना लागत के अधिकतम 10% के अधीन थी। परियोजना लागत का 10% केवल 20 सप्ताह की देरी पर पहुंच जाता है, जो 5 महीने से कम है। वर्तमान मामले में, परियोजना को चालू करने में 10 महीने से अधिक की देरी हुई है और

जब कमीशनिंग में देरी के प्रति सप्ताह 0.5% की न्यूनतम परिसमाप्त क्षति की गणना की जाती है, तो प्रतिवादियों ने अधिकतम स्वीकार्य परिसमाप्त क्षति यानी परियोजना लागत का 10% बरकरार रखा है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि परिसमाप्त क्षति की वसूली अत्यधिक है। इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि परियोजना के चालू होने के लिए समय विस्तार प्रदान करते समय द्वितीय शुद्धिपत्र के समय वर्तमान मामले में लगाया गया निश्चित हर्जाना तथा जिस सीमा तक प्रतिवादियों ने निश्चित हर्जाने के नाम पर राशि रखी है, वह क्षति या हानि के वास्तविक पूर्व आकलन के आधार पर उचित मुआवजा प्रतीत होता है, जो परियोजना के चालू होने में देरी के कारण हो सकता है तथा वर्तमान मामले में शामिल सेवाओं की प्रकृति पर विचार करते हुए वास्तविक हानि या क्षति के आधार पर हानि या क्षति का आकलन करना लगभग असंभव है, जिसका कारण ऊपर पहले ही चर्चा की जा चुकी है।

51 ज) परियोजना को चालू करने में समय का विस्तार, जिसमें परिसमाप्त क्षति का आरोपण सिद्ध हो चुका है, अनुबंध के अनुसार परिसमाप्त क्षति के भुगतान के परिणाम स्वाभाविक रूप से मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में सामने आते हैं। न तो अपीलकर्ता का मामला है कि सेवा में देरी के कारण प्रतिवादियों को कोई नुकसान नहीं हुआ, न ही उनका मामला है कि प्रतिवादियों द्वारा उपरोक्त वास्तविक नुकसान से अधिक कोई अत्यधिक राशि रखी गई है। वर्तमान मामले में परिसमाप्त क्षति निश्चित रूप से पूर्व-अनुमानित क्षति है, जिसकी गणना देरी के प्रति सप्ताह 0.5% की दर से की गई है। निष्पादन बैंक गारंटी का आह्वान करके प्रतिवादियों द्वारा परिसमाप्त क्षति के रूप में धन को रोके रखना गलत नहीं हो सकता।

51 आई) प्रतिवादियों ने न्यूनतम दर पर केवल पूर्व-अनुमानित परिसमाप्त क्षति को ही रखा था, जो 5 महीने से कम की देरी में 10% की सीमा तक पहुंच गई, हालांकि परियोजना के चालू होने में 10 महीने से अधिक की देरी हुई थी और परिसमाप्त क्षति के आरोपण के साथ परियोजना को चालू करने का समय दिया गया था। उपर्युक्त निष्कर्षों के मद्देनजर, निष्पादन बैंक गारंटी के माध्यम से प्रतिवादियों द्वारा वसूल की गई राशि की वापसी के संबंध में अपीलकर्ता का दावा अपीलकर्ता को क्षतिपूर्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

51 जे) **<u>तदनुसार, बिन्दु संख्या (बी) (iii) और (डी) अपीलकर्ता के खिलाफ और प्रतिवादियों के पक्ष में तय किए जाते हैं।</u>**

54. अपीलकर्ता के खिलाफ और प्रतिवादियों के पक्ष में निर्णय के सभी बिंदु तय होने के बाद, अपीलकर्ता इस न्यायालय द्वारा किसी भी राहत का हकदार नहीं है। तदनुसार यह अपील खारिज की जाती है।

(श्री चंद्रशेखर, ए.सी.जे.)

मैं सहमत हूं।

(श्री चंद्रशेखर, ए.सी.जे.)

(अनुभा रावत चौधरी, जे.)

बिनित/सौरव/मुकुल
ए.एफ.आर.

यह अनुवाद अधिवक्ता ज्ञान रंजन, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।